राजस्थान विधान सभा का कार्य-विवरण

अङ्क ६] द्वितीय विधान सभा के छठे सत्र का तेरहवां दिवस [संख्या ६

शनिवार, २२ अगस्त, १९५९.

विधान सभा की बैठक म० पू० ११ बज कर ११ मिनट पर विधानसभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरंजननाथ आचार्य, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[आबकारी, देवस्थान, वित्त, पंचायत, राजस्व, पुनर्स्थापन, श्रम स्वास्थ्य, स्वायत्त-शासन तथा समाज कल्याण– विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

[बीकानेर स्टेशन के पासवाले नाले को पक्का अन्डरग्राउन्ड बनवाने की व्यवस्था।

२९५. श्री जगदीशप्रसाद माथुर (सीकर) : क्या मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सही है कि बीकानेर स्टेशन के पास एक कच्चा नाला है जिसमें आसपास का गन्दा पानी एवं मैला आकर जमा हो जाता है ?

(ख) क्या यह सही है कि जब बीकानेर नगरपालिका को इस संबंध में शिकायत की गई तो उसने यह कह कर टाल दिया कि नाला रेलवे की सीमा में है तथा रेलवे ने यह कह कर टाल दिया कि नाले में गन्दगी सारे शहर से आती है इसलिये जिम्मेवारी नगर-पालिका की है !

(ग) क्या सरकार किसी एक विभाग का उत्तरदायित्व तय करके इस नाले की गन्दगी दूर करवा कर इसे पक्का अन्डर-ग्राउन्ड बनवाने की व्यवस्था करेगी ?

मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री चन्द्रप्रसाद-गुप्ता) : (क) बीकानेर स्टेशन के पास एक पक्का नाला है। बीकानेर में नालियां बन जाने के बाद नालियों का पानी भी इसी नाले में आता है।

(ख) यह नाला जब वर्षा में मिट्टी व गंदे पानी से भर जाता है तो नगरपालिका द्वारा साफ कराया जाता है।

Page No.2

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

(ग) जवाब (क) और (ख) में दिया जा चुका है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : मैंने पूछा कि यह नाला रेलवे अपनी सीमा में मानती है या म्युनिसिपेलिटी अपनी सीमा में मानती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: शहर का नाला तो म्युनिसिपेलिटी का है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : रेलवे पास होती है, रेलवे वाले कहते हैं कि म्युनिसिपेलिटी का है और म्युनिसिपेलिटी वाले कहते हैं कि रेलवे का है तो वास्तव में यह किसकी सीमा में है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : गंदे पानी से बरसात में भर जाता है तो म्युनिसिपेलिटी साफ कराती है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : केवल मिट्टी से नहीं भरता, शहर की गन्दगी इसमें आती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसी कोई शिकायत नहीं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी): क्या यह सही है कि जो नाला है वह रेलवे बाउन्डरी में है ? सवाल यह है, "क्या यह सही है कि बीकानेर स्टेशन के पास एक कच्चा नाला है जिसमें आसपास का गन्दा पानी एवं मैला आकर जमा हो जाता है ?" तो यह रेलवे की सीमा में है या नगरपालिका की सीमा में ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कच्चा नाला नहीं पक्का नाला है। म्युनिसिपेलिटी साफ कराती है तो म्युनिसिपेलिटी का होना चाहिये।

श्री मुरलीधर व्यास : नाला तो कच्चा है, पक्का कतई नहीं है, चारों ओर से रेलवे की दीवाल खिंची है। सवाल यह है कि या तो म्युनिसिपेलिटी साफ कराये या सरकार रेलवे को लिखे कि शहर के बीच में यह नाला आया हुआ है इसको पक्का अन्डरग्राउन्ड बनाया जाय। आप पूरी तरह जानकारी करके उत्तर दें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने पूरी जानकारी के आधार पर जवाब दिया है। पक्का नाला बना हुआ है और म्युनिसिपेलिटी साफ करवाती है।

श्री मुरलीधर व्यास : यदि आपको यह जानकारी गलत दे दी गई हो तो फिर जानकारी करें और यदि नाला पक्का नहीं है और सफाई नहीं होती है तो रेलवे को लिखें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने पूरी तरह जानकारी प्राप्त करके ही जवाब दिया है। मैं अभी और असर्टेन करके आया हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसमें साफ लिखा हुआ है कि रेलवे ने यह कह कर टाल दिया कि नाले में गंदगी सारे शहर की आती है, तो यह किसकी सीमा में है; रेलवे की या नगरपालिका की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने जवाब दिया न कि नगरपालिका सफाई कराती है।

Page No.3

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : आपके पास जवाब गलत आया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा कि मैंने वेरिफाई किया है, जवाब सही है, बिल्कुल ठीक है. दुबारा वेरिफाई कर लिया है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर: आपके पास लिखित आया है और हम ने आंखों से देखा है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास जो जानकारी आई है वह सही आई है म्युनिसिपेलिटी ने लिखित में जवाब दिया है।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा सवाल यह है कि यदि म्युनिसिपेलिटी का जवाब गलत हो और लोगों को वाकई में इससे तकलीफ हो तो क्या मन्त्री महोदय इसकी जांच करके इसका प्रबन्ध करने को तैयार है ?

श्री उपाध्यक्ष : किस सीमा तक गलत है।

श्री मुरलीधर व्यास : बिल्कुल गलत है। रेलवे की सीमा में यह नाला आता है म्युनिसिपेलिटी ने जवाब दिया, म्युनिसिपेलिटी की सीमा में नहीं आता, इसकी जांच कर लें...

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं कह रहा हूँ कि जवाब बिल्कुल सही है। स्टेशन के सामने नाला पक्का बना हुआ है। मैंने आज सुबह ही वेरिफाई किया है ......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि रेलवे की सीमा में है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मेरे पास जवाब है कि पक्का बना हुआ है।

श्री मुरलीधर व्यास : सीमा में है कि नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : सीमा का सवाल ही नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : किस की सीमा में है ? प्रश्न में यह है कि क्या यह सही है कि जब बीकानेर नगरपालिका को इस सम्बन्ध में शिकायत की गई तो उसने यह कह कर टाल दिया कि नाला रेलवे की सीमा में है ....

श्री मुरलीधर व्यास : रेलवे स्टेशन म्युनिसिपेलिटी की सीमा में है कि नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : असेम्बली बिल्डिंग म्युनिसिपेलिटी की सीमा में है कि नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट श्री प्रभुलाल पुरोहित।

लालसोट व बस्सी में जमीन पर अनधिकृत अधिकार

२६६. **श्री प्रभुलाल पुरोहित** (लालसोट) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे :—

(१) लालसोट और बस्सी टाउन कस्बे में सरकारी जमीनों पर किन किन व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से अधिकार किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) यदि हां, तो संबन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) लालसोट टाउन में सरकारी जमीनों पर जिन जिन व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से अधिकार किया गया है उनकी सूची सदन की मेज़ पर रख दी गई है। कस्बे कस्बे में किसी भी व्यक्ति द्वारा अनधिकृत रूप से जमीन पर अधिकार किया जाना नहीं पाया गया है।

(२) सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध नगरपालिका द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है उसका विवरण सदन की मेज़ पर रखी हुई सूची में है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री प्रभुलाल पुरोहित : मैं देखकर आया हूं अभी तक कोई कार्यवाही चालू नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : अब वापिस जाकर देख लीजिये, कार्यवाही चालू हो गई होगी।

(हंसी)

श्री लक्ष्मीचन्द।

जिला जालोर में अफीम खानेवालों को राशन कार्ड

२६७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (सांचोर) : क्या मंत्री आबकारी विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला जालोर में पुराने अफीम खानेवालों की संख्या कितनी थी, जिनके कि राशनकार्ड बने हुए थे ?

(२) कितने लोगों को डॉक्टर ने सर्टिफाई करके कितने तोला अफीम मिलने की सिफारिश की ?

(३) कितने ऐसे लोग हैं जिनको पहले अफीम राशन से नहीं मिलती थी और उनको अब डॉक्टर ने अफीम मिलने की सिफारिश की है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

मंत्री स्वास्थ्य (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मंत्री, आबकारी की ओर से) : (१) २,२२२

(२) १,०१३ आदमियों को सर्टिफिकेट दिये गये। १,१८६॥ तोला अफीम देने की सिफारिश की है।

(३) ४७७, सूची सदन की मेज पर रख दी गई।

(सूची अत्यधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या यह सही कि ३१ जनवरी, ५६ तक ही राशन कार्ड डॉक्टर ने इश्यू किये है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने पूछा कि कितने जारी किये, उसका जवाब दे दिया।

श्री लक्ष्मीचन्द : इतने कम क्यों जारी किये ? पहले २,२२२ अफीम खाने वाले थे तो १,०१३ को ही राशन कार्ड कैसे दिये गये ?

एक माननीय सदस्य : अफीम खानेवाले कम हो गये होंगे।

(हंसी)

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या इस प्रकार का नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि ३१ जनवरी, ५६ तक ही राशन कार्ड बनाये जायं ? ३१ जनवरी तक जो लोग पहुँचे हैं उनके

(श्री लक्ष्मीचन्द)

राशन कार्ड बना दिये गये और इसके बाद में जो आये उनके राशन कार्ड नहीं बनाये गये ? क्या इस तरह का नोटिफिकेशन जारी किया गया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : और बाकी रह गये हैं तो डॉक्टरी सर्टिफिकेट पर राशन कार्ड दिये जा सकते हैं।

श्री लक्ष्मीचन्द : जो बाकी रह गये हैं वे अब राशन कार्ड बना सकते हैं, क्या इस प्रकार के आदेश दिये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हाँ, एप्रोच करें तो डॉक्टरी सर्टिफिकेट पर दिया जा सकता है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर सिटी): यह कैसे पता चलाया कि ये लोग अफीम खानेवाले हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्दजी से पूछ लिया।

(हंसी)

श्री मुरलीधर व्यास : १,०१३ का ही कैसे पता चला ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : डॉक्टर सर्टिफिकेट देता है उसके आधार पर राशन कार्ड दिया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

नगरपालिका, चित्तौड़ द्वारा भूमि वितरण

२६८. श्री भैरोंसिंह (श्रीमाधोपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) ३१ जनवरी, १९५८ से लेकर अब तक नगरपालिका चित्तौड़ ने किस किस व्यक्ति को कितनी कितनी भूमि, किस दर से व किस तारीख को अलॉट की है ? कृपया इसकी एक तालिका सदन की मेज पर रखें।

(२) इनमें से किस किस प्लॉट का सार्वजनिक नीलाम किया गया था ? किस किसका नहीं, और क्यों ?

(३) क्या इन प्लॉट्स के पहले कलेक्टर की अनुमति ले ली गई थी ? यदि हाँ, तो किन किन में, और नहीं तो क्यों ?

मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) तालिका सदन की मेज पर रखवा दी गई है। उसमें ३१-१-५८ से लेकर आज दिन तक जिन जिन व्यक्तियों को जो भूमि जिस दर से दी गई है दिखाई गई है।

(२) उक्त प्लॉट्स शहर से करीब १॥, २ मील की दूरी पर होने से व नई आबादी को प्रोत्साहन देने हेतु कोई भी प्लॉट नीलाम नहीं किया गया।

(३) इन जमीनों के प्लान जिलाधीश व एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर द्वारा एप्रूव कर लिये गये थे ? अतः दुबारा अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी ?

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि प्लान एप्रूव करने के बाद कलेक्टर ने अलॉटमेन्ट ऑफ लैण्ड को रद्द कर दिया था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऐसा तो करने का कलेक्टर को अधिकार नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इस संबन्ध में अलॉटमेंट के रूल्स बने हुए हैं ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जी हां, बने हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वितरण कमेटी के अधिकार कलेक्टर को ज्यादा मिले हुए हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो म्यूनिसिपेलिटी को अधिकार दिये गये हैं न कि कलेक्टर को ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि वहां पर अलॉटमेंट के लिए वितरण कमेटी बनी है और उसका चेयरमैन कलेक्टर है और उसने एलॉटमेंट को बन्द करने का आदेश दिया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं यह कहना चाहता हूं कि न तो कोई अलॉटमेंट कमेटी है न उसका चेयरमैन कलेक्टर ही है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि यह प्लान प्लानिंग कमेटी में बनाया गया था उसमें कलेक्टर थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जिस वक्त प्लान बनाया तो कलेक्टर से और एग्जिक्युटिव इन्जीनियर से उनको दिखा कर राय ली थी ।

श्री भैरोंसिंह : जब कलेक्टर को अधिकार नहीं तो कलेक्टर का जिक्र क्यों आता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : वह पहले की बात है ।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा कि प्लान बनाया गया उस समय कलेक्टर से आज्ञा लेने की आवश्यकता पड़ी सो क्यों ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह कहा कि डवेलपमेंट का प्लान बनाया उस समय उस प्लान को कलेक्टर और एग्जिक्युटिव इंजीनियर को दिखाया गया था । उससे आज्ञा लेने का प्रश्न नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस समय एग्जिक्युटिव इन्जीनियर से अनुमति ली गई थी और कलेक्टर से अनुमति ली गई उस समय उसमें यह व्यवस्था की गई थी कि कलेक्टर उस सम्बन्ध में इस प्रकार की आज्ञा जारी करे ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि म्यूनिसिपेलिटी को पॉवर्स दिये गये थे । कलेक्टर का पॉवर्स नहीं दिये गये थे । कलेक्टर तो १६१ के अन्तर्गत अगर कोई गड़बड़ी हो तो सुनवाई कर सकता है । कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं है कि वह अलॉटमेंट को रद्द करे या किसी प्रकार का रद्दोबदल करे ।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह माना जावे कि कलेक्टर का ऑर्डर जो दिया गया वह गलत था ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह नहीं कहा है कि कलेक्टर ने कोई आदेश दिया । अगर आप अलग प्रश्न पूछेंगे तो जवाब दिया जावेगा ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सरकार के रेफरेन्स के आदेश पर कलेक्टर ने ऑर्डर दिये थे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैं इस बात को नहीं मानता कि कलेक्टर ने किसी प्रकार के ऑर्डर दिये। आप प्रिज्यूम करते हैं। प्रिज्युमशन तो नहीं होना चाहिए।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस बात को सही मानती है कि मेरा यह केवल प्रिज्युमशन ही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने कहा है कि कलेक्टर को ऐसे आदेश देने का अधिकार नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार इस बात को बताने की कृपा करेगी कि यह आज्ञा सरकार के रेफरेंस के अनुसार दी गई, क्या यह बात सही मानते हैं या नहीं ? स्पष्ट कहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लक्ष्मीचन्द।

तहसील पंचायत सांचोर के भवन का निर्माण

२६६. **श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर)** : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) तहसील सांचोर, जिला जालोर के पंचायत भवन हेतु कितनी धन राशि विकास विभाग द्वारा स्वीकृत की गई व वह रकम खजाने से कब उठाई गई व पंचायत विभाग में कब जमा कराई गई है ?

(२) क्या उक्त भवन का कार्य चालू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं और कब तक चालू कराये जाने की आशा की जाती है ?

(३) क्या जब तक भवन निर्माण कार्य शुरू नहीं होता है तब तक के लिए उक्त रकम ठेके में जमा कराई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मंत्री, स्वायत्त शासन श्री दौलतराम सारण) : (१) दिनांक ३१-३-५८ को ४,०००) रु० तथ दिनांक २६-१२-५८ को २,०००) रु० मिले। पंचायत की रोकड़ में दिनांक १-४-५८ तथा २६-१२-५८ को जमा की गई।

(२) पंचायत भवन का कार्य दिनांक १०-४-५८ से आरम्भ हुआ तथा १६-६-५८ तक भवन बन कर तैयार हो गया।

(३) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री लक्ष्मीचन्द : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है तहसील पंचायत के भवन के बारे में कि आया तहसील पंचायत का भवन बना या नहीं और आप जवाब दे रहे हैं पंचायत भवन का।

श्री दौलतराम सारण : आप का प्रश्न यह है : 'तहसील सांचोर, जिला जालोर के पंचायत भवन हेतु कितनी धनराशि विकास विभाग द्वारा स्वीकृत की गई'। उसका उत्तर मैंने दिया है।

श्री लक्ष्मीचन्द : मेरा प्रश्न है तहसील पंचायत सांचोर का न कि पंचायत का।

Page No.8

श्री उपाध्यक्ष : 'तहसील सांचोर, जिला जालोर के पंचायत भवन हेतु' जब तहसील, जिला सांचोर की पंचायत का मतलब है........

श्री पी. के. चौधरी (फुलेरा) : हैडिंग में साफ है तहसील पंचायत सांचोर के भवन का निर्माण।

मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : जो आपने पूछा है वही जवाब दिया गया है ।

श्री पी० के० चौधरी : हैडिंग में तहसील पंचायत सांचोर के भवन का निर्माण साफ लिखा है ।

श्री उपाध्यक्ष : हैडिंग हम लोग बनाते हैं। गवर्नमेंट के पास नहीं जाता।

श्री लक्ष्मीचन्द : मेरा प्रश्न साफ है ।

श्री उपाध्यक्ष : The question is very clear. गवर्नमेंट को भेजा हैं उसमें तहसील पंचायत सांचोर के....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने जितना प्रश्न पूछा उसका जवाब दिया है ।

श्री लक्ष्मीचन्द : क्या तहसील पंचायत का भवन बन गया है ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछा गया है तहसील पंचायत के भवन का और जवाब दिया गया है पंचायत के भवन का। That is the difference If the Government wants time, I may give time just to clarify the position and it may be replied on the next turn.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पंचायत भवन का कार्य दिनांक १०-४-५८ से आरम्भ हुआ तथा १६-६-५८ तक भवन बन कर तैयार हो गया।

श्री पी० के० चौधरी : This is objectionable. The Chair has given a Ruling that they should reply about the Panchayat Bhawan and they are still replying the same.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हमारे पास जो जवाब आया है उसको दिया है ;

श्री पी० के० चौधरी : But, Sir, If the Govenment wants timet hat is different but it is not relevant.

श्री उपाध्यक्ष : Let him clarify the position. The answer is really not relevant. प्रश्न तहसील पंचायत भवन का है और जवाब दिया गया है पंचायत भवन का ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने यह अर्ज किया कि जो जवाब हमारे पास आया वह दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : I hope the Hon'ble Member is not insisting upon that. तहसील पंचायत भवन निर्माण के बारे में पूछा गया है और जवाब पंचायत भवन के बारे में दिया गया है। जानकारी तहसील पंचायत भवन के बारे में की जानी चाहिये । There is a little confusion.

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : I will find out.

Page No.9

श्री उपाध्यक्ष : That's alright.

नेक्स्ट। श्री जगदीशप्रसाद माथुर।

बन्दोबस्त विभाग, सीकर।

३००. **श्री जगदीशप्रसाद माथुर** (सीकर) : क्या मंत्री, राजस्व विभाग निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि सेटलमेंट ऑफिसर, सीकर द्वारा ६–८–५७ को:–

१. अहमद पुत्र भूरेखां, २. नानूखां पुत्र महरावखां निवासी किरडोली, तहसील सीकर।

विरूद्ध

गंगा पुत्र मूना जाट, साकिन किरडोली, तहसील सीकर के अनवान की फाइल सेटलमेंट कमिश्नर, राजस्थान, जयपुर को तहसीलदार सीकर को ए० आर० ओ० के अधिकार रीट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मंजूर करने के लिये भेजी थी ?

(२) यदि हां, तो उस फाइल पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां।

(२) मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह फाइल सेटलमेंट कमिश्नर से सेक्रेटेरियेट में कब आई ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह फाइल सेटलमेंट कमिश्नर के यहां से रेवेन्यू बोर्ड में गई और वहां से फिर सेक्रेटेरियेट में आई।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : यह कब आई, आप तारीख बतावेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बोर्ड ऑफ रेवेन्यु से १४–७–५८ को। बोर्ड ऑफ रेवेन्यु और लॉ डिपार्टमेंट के व्यूज में आपस में मतभेद है इसलिये यह विचाराधीन है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : इस मामले को २ वर्ष से ज्यादा समय हो गया है।

श्री दामोदरलाल व्यास: मैंने आपको १४–७–५८ बताया है। उस बात को अभी दो साल नहीं हुए हैं मगर फिर भी मैं यह कहूंगा कि कानूनी पेचीदगी हो तो ज्यादा समय भी लग सकता है।

श्री जगदीशप्रसाद माथुर : सेटलमेंट कमिश्नर के यहां से ६–७–५७ को भेजी गई थी ?

श्री दामोदरलाल व्यास : हो सकता है कानूनी दृष्टि से बोर्ड ऑफ रेवेन्यु में और लॉ डिपार्टमेंट के आपस में मत भेद है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यु एक बात कहता है और लॉ डिपार्टमेंट दूसरी बात कहता है इसलिए विचाराधीन है।

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : क्या कानून का मसला फाइल को दबाने से हल हो सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : फाइल दबाई नहीं गई है। मैंने कहा कि आपस में

Page No.10

(श्री दामोदरलाल व्यास)

लिखा-पढ़ी हो रही है। आपस में एक दूसरे के मतभेद हैं और इस कारण से यह विचाराधीन है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या दो साल का अर्सा...

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री लक्ष्मीचन्द।

रूरल एरिया में पीने के पानी की कमी की जांच करने हेतु नियुक्त कमेटी

३०१. श्री लक्ष्मीचन्द (सांचोर) : क्या स्वायत् शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने रूरल एरिया में पीने के पानी की कमी की जांच के लिए कोई कमेटी नियुक्त की है? यदि हां तो उसके कौन कौन सदस्य हैं?

(२) क्या उक्त कमेटी ने कोई सुझाव भी विधान सभा के सदस्यों से मांगे थे?

(३) क्या यह सही है कि जालोर जिले की सांचोर तहसील के गांव हाडेचा, दूठवा, नलधरा, सरनाऊ में पानी के लिये बोरिंग करने का सुझाव आया था? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया?

मंत्री, स्वायत शासन (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी हां। कमेटी के सदस्य निम्नलिखित हैं:

१. श्री हरिश्चन्द्र माथुर, एम पी०

२. श्री कमिश्नर जोधपुर, डिविजन।

३. श्री कमिश्नर बीकानेर, डिविजन।

४. कमिश्नर अजमेर, डिविजन।

५. श्री परसराम मैदरीना, एम०एल०ए०।

६. श्री भीमसेन, एम० ए० ए०।

७. श्री हंसराज आर्य, प्रेसीडेन्ट, जिला कांग्रेस कमेटी, गंगानगर।

८. श्री के० एन० भार्गव, सुपरिन्टेन्डिंग इंजीनियर हैल्थ, जयपुर।

(२) जी हां।

(३) जी हां, जो सुझाव कलेक्टर जालोर ने भेजे थे वे कमेटी के विचाराधीन हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शीशराम ओला।

जिला झुंझुनू की निष्क्रमणार्थ (Evacuee) भूमि

३०२. श्री शीशराम ओला (खेतड़ी) : क्या पुनर्स्थापन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला झुंझुनू में जो इवेक्युई जमीन है उसका सम्वत् २०११ का लगान कस्टोडियन ने दुगुना ले लिया था?

(२) यदि हां, तो फिर उसी साल का लगान अब तहसील काश्तकारों से क्यों मांग रही है?

राजस्व मंत्री (श्री दामोदरलाल व्यास) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का जवाब आज

Page No.11

(श्री दामोदरलाल व्यास)

नहीं आ सका है, इसलिए अगलीटर्न पर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Postponed. Sri Jai Chandra Mohil

उदयपुर के हरिजन विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्तियां

३०३. श्री जयचंद्र मोहिल (कपासिन-सु.) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उप संचालक, समाज कल्याण विभाग, उदयपुर ने सन् १६५६-५७ व ५८ में अपने पूरे क्षेत्र में कितने हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी ?

(ख) उक्त सनों में छात्रवृत्ति प्राप्त छात्रों में ऐसे कितने छात्र हैं जिनके छात्रवृत्ति फॉर्मों में प्राप्त अंक दर्ज न होकर सिर्फ पास होना ही लिखा हुआ है ?

उपमंत्री, समाज कल्याण (श्री भीखाभाई) : (क) सहायक संचालक, समाज कल्याण विभाग, उदयपुर द्वारा उनके क्षेत्र में १६५६-५७ व ५८ में जितने हरिजन छात्रों को छात्रवृत्तियां दी गईं उनका विवरण निम्न प्रकार है :

वर्ष	छात्र संख्या
१६५६-५७	१,१८०
१६५७-५८	१,५७८
१६५८-५६	२,७११

(ख) उक्त वर्षों में ऐसे छात्रवृत्ति प्राप्त छात्र जिनके छात्रवृत्ति फॉर्मों में प्राप्तांक दर्ज न होकर सिर्फ पास होना ही लिखा हुआ है की संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	छात्र संख्या
१६५६-५७	१६
१६५७-५८	२
१६५८-५६	३६

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण वर्मा।

भरतपुर में पीने के पानी का अभाव

३०४. श्री रामनारायण वर्मा (पीपल्दा-सु) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भरतपुर नगरवासियों को पर्याप्त पानी नहीं मिलता है ?

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं तथा इनको दूर करने हेतु क्या सरकार कोई सक्रिय कदम उठा रही है ? यदि हाँ, तो क्या ?

मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) जी हां।

(ख) अभी तक वाटर सप्लाई की व्यवस्था नहीं है। अब शीघ्र ही नलों द्वारा पानी सप्लाई किया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचंद।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में सरकारी रकम व बीघोड़ी की वसूली का रोका जाना।

३०५. श्री लक्ष्मीचंद (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

Page No.12

(श्री लक्ष्मीचन्द)

(१) क्या यह सत्य है कि जिस इलाके को गवर्नमेन्ट अकालग्रस्त घोषित कर देती है उस ठिकाने के लोगों से सरकारी रकम वा बीघोड़ी की वसूली सरकार रोक देती है ?

(२) यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिला जालोर के डिप्टी कलेक्टर, जागीर द्वारा अकालग्रस्त एरिया के लोगों से मुआवजा देते वक्त बकाया व बीघोड़ी वसूल की जाती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मंत्री राजस्व (श्री दामोदरलाल व्यास) : (१) जी हां, यह सही है।

(२) डिप्टी कलेक्टर जागीर द्वारा जो रकम की वसूली की जाती है वह जागीर खालसा होने के पूर्व की सरकारी बकाया सम्बन्धित कार्यालयों से फार्म १० में प्राप्त होने पर जागीरदारों के दावे फाइनल करते समय एडजेस्ट की जाती है।

श्री लक्ष्मीचंद : एडजेस्ट करने का सवाल नहीं है। वसूली की जाती है। आपने कहा कि अकालग्रस्त एरिया में वसूल नहीं की जानी चाहिये तो फिर डिप्टी कलेक्टर जागीर क्यों वसूल करते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सस्पेन्शन क्लोज के अन्तर्गत जो रकम सस्पेन्ड कर दी जाती है वह वसूल नहीं होती है। जागीरदारों में पहले की बकाया है और रूल्स में प्रोविजन है कि फार्म १० को कम्पन्सेशन में एडजेस्ट किया जावेगा और सस्पेन्शन एक्ट का असर नहीं पड़ता है।

श्री लक्ष्मीचंद : खुदकाश्त है उसका वसूल किया जा रहा है। जागीर रिज्यूम हो जाने पर सब ही काश्तकार हो जाते हैं और जब वह एरिया अकालग्रस्त घोषित किया जा चुका है तो फिर उनसे क्यों वसूल किया जाता है और उनके लिए भी सस्पेन्ड क्यों नहीं होता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : खुदकाश्त का वसूल होता है तो बताईये। जागीरदार चाहे तो एडजेस्ट करा सकता है। यदि अकालग्रस्त के बाद लगान केश में वसूल हुआ है तो आप मेरे ध्यान में लावेंगे तो मैं उसके लिए उचित कार्यवाही करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपे गये मजदूरों के मामले

३०६. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी) : क्या श्रम मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को कोई सूचना भेजी है जिसमें यह उल्लेख है कि किन परिस्थितियों में मजदूरों के मामले औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंप दिये जांय ? यदि हां, तो कृपया उसकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) सरकार ने इस आधार पर कितने रिफरेन्स अब तक किये हैं ?

मंत्री, श्रम (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (१) जी नहीं।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या केन्द्रीय सरकार की ओर से किसी कारण से ऐसे

(श्री मुरलीधर व्यास)

मामले न्यायाधिकरण को भेजे जांय, ऐसी सूचना राज्य सरकार को भेजी गई है और राज्य सरकार ने किस कारण से उचित समझा है भेजना ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में प्रोविजन है उसके अनुसार कर सकते हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : इसके सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने सारी स्टेट्स को आदेश दिये हैं कि किन परिस्थितियों में भेजने चाहिये । आप कहते हैं कि आदेश नहीं हैं । क्या राज्य सरकार की ओर से कोई नियम बनाये गये हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो प्रोविजन हैं वे ही हैं ।

श्री मुरलीधर व्यास : उसके लिए कानून बना है और रूल्स बने हुए हैं । आप कहते हैं कि नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : He has replied.

Sri Jai Chandra Mohil.

भूमि वितरण कमेटी, तहसील भदेसर (चित्तौड़) द्वारा भूमि का वितरण

३०७. श्री जयचन्द्र मोहिल (कपासिन-सु) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देंगे :

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ जिले की भदेसर तहसील की भूमि वितरण कमेटी से श्री सूरजमल पिता राम चाम्भी सुरखंड निवासी को दिनांक २१-१०-५८ की भूमि काश्त हेतु अलॉट हुई ? अलॉट भूमि किस आराजी नम्बर से कितनी हुई ?

(२) क्या यह सही है कि भूमि प्राप्तकर्ता हरिजन होने के कारण अभी तक उस भूमि पर तहसील से उसको कब्जा नहीं कराया गया है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उस भूमि पर तहसील से एक सवर्ण का नाजायज कब्जा करवा रखा है ?

मंत्री, राजस्व (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) जी हां । भूमि आराजी नं० ५२४ रकबा १॥।) बीघा व आराजी नं० ५२३ रकबा ६)१ जुमला ७॥।) १ अलॉट की गई है ।

खसरा नं० ५२४ और ५२३ में से क्रमशः १॥।) बीघा और ६) बीघा, १ बिस्वा अलॉट की गई है ।

(२) जी हां ।

(३) जी नहीं । तहसील ने किसी सवर्ण जाति के व्यक्ति को नाजायज कब्जा नहीं कराया ।

श्री जयचंद्र मोहिल : इस वक्त भूमि पर किसका कब्जा है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सूरजमल को भूमि अलॉट की गई थी। उसमें से बीघा, ६ बिस्वा पर सूरजमल का कब्जा है और १॥।) पर सूरजमल ने नाजायज कब्जा कर लिया । उसके लिए कार्यवाही चल रही है ।

श्री जयचंद्र मोहिल : कब समाप्त हो जायेगी ?

Page No.14

श्री दामोदरलाल व्यास : इसके लिए तो मैं अर्ज नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो उसमें दखल भी नहीं दे सकता हूं।

श्री जयचंद्र मोहिल : इस भूमि को लेने के लिए किस २ ने दरख्वास्तें दीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : अलग से पूछें तो इसका जवाब दिया जा सकता है। एक आदमी के लिए पूछा तो उसका जवाब देदिया।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास !

अध्यक्ष, नगरपालिका डूंगरगढ़ द्वारा नगरपालिका की पूंजी से किया गया सीमेन्ट का निजी व्यापार

३०८. **श्री मुरलीधर व्यास** : (बीकानेर सिटी) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सत्य है कि श्री डूंगरगढ़ (चुरू) नगरपालिका के अध्यक्ष ने पालिका की पूंजी से सीमेन्ट मंगवा कर निजी व्यापार किया ?

(ख) क्या डूंगरगढ नगरपालिका ने डाईरेक्टर लोकल बोर्डीको नगरपालिका के लिये सीमेन्ट दिलवाने के लिये कोई प्रार्थना पत्र दिया था ?

(ग) क्या डाईरेक्टर ने उनके प्रार्थना-पत्र पर सीमेन्ट फैक्ट्री को कोई पत्र लिखा था ?

(घ) क्या इस कार्यवाही के आधार पर डूंगरगढ़ पालिका के नाम १,५०० बोरी सीमेन्ट आई ?

(ङ) यह सीमेन्ट किस कार्य में लिया गया ?

मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) अध्यक्ष, नगरपालिका डूंगरगढ ने पालिका की पूंजी से सीमेन्ट मंगवाई थी। निजी व्यापार नहीं किया।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) १,५५५ बोरी सीमेन्ट आया।

(ङ) सीमेन्ट निम्न प्रकार कार्य में ली गई :—

(१) ६६५ बोरी सुगनचंद कल्लानी को ४,४१३ रु०, ५० नये पैसे में बेच दी गई।

(२) ८३७ बोरी सोहनलाल राठी को ५,२७० रु० २ नये पैसे में बेच दी गई।

(३) २१ बोरी नगरपालिका ने एक कुए हेतु काम में ली।

(४) २ बोरी कम प्राप्त हुई।

टोटल १,५५५ बोरी

श्री मुरलीधर व्यास : इस प्रकार नगरपालिका के नाम सीमेन्ट मंगाया और उसका व्यक्तिगत व्यापार किया, उसके लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : व्यक्तिगत व्यापार नहीं किया। सीमेन्ट की वहां पर कमी थी इसलिए नगरपालिका ने स्पेसियेली मंगवा कर सप्लाई कर दिया।

Page No.15

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या नगरपालिका अध्यक्ष का यह व्यवहार मिसकन्डक्ट में नहीं आता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : खराब व्यवहार क्या हुआ ? वहां सीमेन्ट की कमी थी और नगरपालिका ने मंगवा कर उसको सप्लाई करा दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : म्यूनिसिपेलिटी के लिए मंगाते तो कोई बात थी लेकिन बेचने के लिए मंगाई। डाईरेक्टर ने बेचने के लिए या व्यापार करने के लिए सिफारिश की ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कस्बे में सीमेंट की कमी थी इसलिए बेचा था। किसी तरह का ब्लेक हुआ हो या उसका मिसयूज हुआ हो, ऐसी बात नही है। कस्बे में सीमेन्ट की कमी को पूरा करने के लिए ही ऐसा किया गया था।

श्री पी.के. चौधरी : In whose name it was given? Whether in the name of the Municipality the permit was given or in the name of the trader?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : म्यूनिसिपेलिटी ने मंगाया वह उसके पैसे से मंगाया। यह मैं इन्कार नहीं कर रहा हूँ।

श्री मुरलीधर व्यास : उसका लाभ किसने रखा है ? म्यूनिसिपेलिटी ने रखा है या किसी व्यापारी ने ? डाईरेक्टर की सिफारिश पर म्यूनिसिपेलिटी ने मंगाया और बाद में व्यापारी को देकर उसको बिकवाया। इस तरह से शहर में कमी है इस प्रकार कह कर कोई आदमी म्यूनिसिपेलिटी के मार्फत मंगाये या उसके नाम से मंगाये तो क्या सरकार उसको अलाऊ करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : व्यापारी को कन्ट्रोल रेट पर बेच दिया, इसमें मुनाफे की कोई बात नहीं है।

श्री पी. के चौधरी : डाईरेक्टर ने किस कानून के अन्तर्गत म्यूनिसिपेलिटी को परमिट दिया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : हरएक को दे सकते हैं।

श्री पी. के. चौधरी : जिसको मिलता है तो वह उसको खुद के यूज के लिए मिलता है ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री नेक्स्ट।

सरकार द्वारा नियन्त्रित मंदिरों की व्यवस्था व सामान की तालिकायें बनाना

३०६. **श्री मुरलीधर व्यास** (बीकानेर सिटी) : क्या मंत्री, देवस्थान निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) राज्य भर में सरकार के अधीन कुल कितने मंदिर हैं जिनकी व्यवस्था का जिम्मा देवस्थान विभाग पर है ?

(२) क्या यह सही है कि इनमें कुछ मंदिरों के सामान की तालिका अभी तक नहीं बनी है ? अगर नहीं, तो कुल कितने मंदिरों के सामान की तालिका अब तक बन चुकी है ?

मंत्री, देवस्थान (श्री दामोदरलाल व्यास): (१) राज्य भर में देवस्थान विभाग से सम्बन्धित कुल ११,०८८ मंदिर हैं। उनमें से डाईरेक्ट चार्ज के ३२२, सेल्फ सपोर्टिंग के

Page No.16

(श्री दामोदरलाल व्यास)

८६ तथा कोर्ट ऑफ वार्ड्स के ६० योग ४६१ ऐसे मंदिर हैं जिनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी देवस्थान विभाग पर है ।

उपरोक्त ४६१ मंदिरों में जितने मंदिरों में जितने आभूषण इत्यादि थे उन सब की इन्वेन्ट्री बन चुकी है, केवल एक मंदिर (गंगाजी मंदिर, धौलपुर) का केस कोर्ट में चल रहा है । कोर्ट का निर्णय प्राप्त होने पर ही आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी ।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या इसमें राजस्थान से बाहर के मंदिरों को भी शामिल कर लिया गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैं अर्ज नहीं कर सकता । क्योंकि सवाल यह है कि राज्य भर के मंदिर । बाहर के हैं या नहीं इसमें यह मैं तहकीक अर्ज नहीं कर सकता हूं ।

श्री मुरलीधर व्यास : वे भी तो राजस्थान स्टेट के ही मंदिर हैं ।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह मैं पोजिटिवली नहीं कह सकता कि वे भी इसमें इन्क्ल्युडेड हैं या नहीं । हैं तो शामिल कर देना चाहिए But I cannot give definite information. If the Hon'ble Member wants to know about a particular temple which has been left, I can enquire.

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा ।

हॉस्पिटल, पाली

३१०. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या पाली हॉस्पिटल की कम्पाउन्ड वॉल, रसोई घर व डॉक्टर के रहने के लिए क्वार्टर्स बनाने के लिये सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो कब तक बन जावेगी ?

उप मंत्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : रसोईघर पाली अस्पताल में कभी का बन चुका है । कम्पाउन्ड वॉल व डॉक्टर के रहने का क्वार्टर को बनाने का इस साल प्रोविजन है ।

श्री उपाध्यक्ष : डॉ० चंद्रकला ।

नगरपालिका को भूमि विक्रय सम्बन्धी अधिकार

३११. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) सरकार ने नगरपालिकाओं को भूमि विक्रय का अधिकार कब दिया था ? क्या फरवरी, ५६ में इन अधिकारों को वापिस लेकर भूमि विक्रय बन्द कर दिया गया है?

(ख) उक्त आदेश सवाई माधोपुर नगरपालिका को कब मिला ? क्या यह सच है कि सरक्यूलर मिलने के दूसरे दिन बोर्ड की मीटिंग बुला कर बहुमत के आधार पर श्री मोतीलाल नाम के व्यक्ति को भूमि दे दी गई ? यदि हां, तो कितनी और किस भाव पर ?

(डॉ० चन्द्रकला)

(ग) क्या नगरपालिका की उक्त अवैध कार्यवाही का विरोध करते हुए स्थानीय कलेक्टर को लिखित आवेदन-पत्र दिया गया और उन्होंने स्थगन आदेश जारी किये ?

(घ) क्या सरकार उक्त मामले की जांच कर समुचित कार्यवाही करेगी ?

मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) दिनांक ३१-३-५६ को। जी हां।

(ख) दिनांक २५-२-५६ को। जी नहीं। सरक्युलर प्राप्ति के एक रोज पहले यानि दिनांक २४-२-५६ को बोर्ड द्वारा श्री मोतीलाल को ५ रु० वर्ग गज पर ३६ मुरब्बा गज भूमि दी गई है।

(ग) जी हां, स्थगन आदेश जारी नहीं किये और नगरपालिका से रिपोर्ट अवश्य मांगी गई थी।

(घ अगर आवश्यक हुआ तो जांच करवाई जावेगी।

डॉ० चन्द्रकला : नगरपालिका से रिपोर्ट कब मांगी गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : कलेक्टर साहब के पास शिकायत होने पर मांगी गई।

डॉ० चन्द्रकला : शिकायत का कोई कारण नहीं था। फिर क्यों पेश की गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : आपने जैसा विश्वास किया वैसा कलेक्टर साहब ने किया होगा। २४ की मिटिंग से यह प्रस्ताव पास हुआ। ऑर्डर यहाँ से होगया था लेकिन पहुँचा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

अफीमबन्दी के बाद पाली तहसील में अफीम खरीदने के परमिटों का वितरण

३१२. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में अफीमबन्दी के बाद पाली तहसील में किन किनको अफीम खरीदने के पर्मिट मिले हैं ? उनकी सूची सदन की मेज पर रखें ?

(ख) उक्त पर्मिट किस आधार पर दिये गये ?

(ग) क्या इन पर्मिटें को लेने के लिये किसी सरकारी डॉक्टर का सर्टीफिकेट जरूरी था ?

(घ) क्या सरकारी डॉक्टरों ने ऐसे पर्मिट देने के पहले अपनी फीस ली थी ? यदि हां, तो कितनी ?

मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता) : (क) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) डॉक्टरी सर्टीफिकेट के आधार पर।

(ग) जी हां।

(घ) इस विषय में इस कार्यालय को कोई जानकारी नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री मूलचन्द डागा : डॉक्टरों की राय आप आखिर क्यों मानते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह रूल्स के अन्दर प्रोविजन है।

Page No.18

श्री मूलचन्द डागा : डॉक्टरों की ही ओपीनियन क्यों ली जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : क्योंकि डॉक्टर एक्सपर्ट होते।

श्री मूलचन्द डागा : डॉक्टर इसकी फीस लेते ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : फीस की जानकारी अभी नहीं है।

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : पाली में ज्यादा अफीमची रहते हैं क्या ?

श्री मूलचन्द डागा : डॉक्टर किस आधार पर मालूम करता है कि यह अफीम खानेवाला है ?

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ३१३

श्री नाथूलाल करोल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३१४

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ३१५

श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

डॉ० चन्द्रकला।

पेन्शन के लिए निर्धारित आयु सम्बन्धी सीमा में वृद्धि

३१६. **डॉ० चन्द्रकला** (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) राजस्थान में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की पेन्शन लेने (रिटायरमेन्ट) की क्या उम्र निर्धारित की हुई है ? इसका आधार क्या है ?

(ख) क्या सरकार इस आयु सीमा को कुछ आगे बढ़ाने का विचार कर रही है ?

(ग) क्या २२ फरवरी, ५८ को अपने एक कन्वेन्शन में राजस्थान के पेन्शनर्स ने कुछ मांगें सरकार के सामने प्रस्तुत की हैं ? कृपया सूची दें सरकार ने इन मांगों पर अब तक क्या कार्यवाही की ?

(घ) क्या सरकार पेन्शनर्स की सेवाओं का उपयोग करने की कोई योजना सोच रही है ? यदि हां, तो क्या ? उसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री निखिलचन्द धारीवाल):(क) राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों का लाजिमी रिटायरमेंट की उम्र ५५ वर्ष निर्धारित की हुई है। प्राय: सभी राज्यों में भी रिटायरमेन्ट की उम्र ५५ वर्ष निर्धारित है।

(ख) जी नहीं।

(ग) २२ फरवरी, सन् १६५८ को राजस्थान के पेन्शनर्स के कन्वेन्शन में पास हुए प्रस्तावों की एक कॉपी प्रेसिडेन्ट,

Page No.19

(श्री रिखबचन्द धारीवाल)

राजस्थान पीपुल्स वेलफेअर सोसाइटी के पत्र दिनांक ५-३-५६ के द्वारा प्राप्त हुई थी; जिसकी एक प्रति संलग्न है। सरकार ने १-४-५६ से १०० रु० तक पेन्शन पाने-वालों को महँगाई भत्ता वित्त विभाग की आज्ञा संख्या ७४५० । ५८ एफ १ (१७०) आर । ५६ पार्ट ए, दिनांक २१-३-५६ द्वारा दुगुना कर दिया है।

(घ) पेन्शनर्स की सेवाओं का उपयोग करने की कोई विशेष योजना सरकार के अभी विचाराधीन नहीं है। जब भी आवश्यक होता है पेन्शनर्स को पुनर्नियुक्त किया जाता है। बहुत से पेन्शनर्स की सेवाओं का इस आधार पर उपयोग किया जाता है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

डॉ० चन्द्रकला : रिटायरमेन्ट की उम्र जो ५५ वर्ष की रखी गई है वह इस आधार पर रखी गई कि दूसरे प्रान्तों में भी यह है या मनुष्य को कार्यक्षमता कम हो जाती है इसलिए रखी गई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इन सभी बातों को देख कर किया गया है।

डॉ० चन्द्रकला : पेन्शनर्स एसोसियेशन ने अपनी मांग नं. २. व ३ में फ्री मेडिकल एड व फ्री एज्युकेशन की मांग की है। इस विषय में सरकार का क्या इरादा है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि मौजूदा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिये ही ये सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

डॉ० चन्द्रकला : क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि ५५ साल की उम्र के बाद मेडिकल-एड की ज्यादा जरूरत होती है इसलिए इस पर विचार करना चाहिए ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : सुविधा तो सब को मिलनी चाहिए, हर भारतवासी को मिलनी चाहिए लेकिन जहां तक सरकार का ताल्लुक है अभी तक केवल सरकार के नौकरों को ही यह सुविधा प्रदान की है।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट,

आयुर्वेद विभाग द्वारा संचालित परीक्षाएँ

३१७. डॉ० बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) आयुर्वेद विभाग कौन कौन सी परीक्षाओं का आयोजन करता है ? ये परीक्षायें भारत के किन किन विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुकी हैं ?

(२) सरकार इन्डियन मेडिसन बोर्ड, ब्रान्च राजस्थान को उक्त परीक्षाओं के आयोजन का भार क्यों नहीं देना चाहती ?

(३) भविष्य में आयुर्वेद शिक्षण के संबंध में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

उपमंत्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : (१) आयुर्वेद विभाग वर्तमान में निम्न-लिखित परीक्षाओं का आयोजन करता है:—

(अ) नवीन नियमावली के अनुसार पंच-वर्षीय पाठ्यक्रम—भिषग्वर, भिषगाचार्य परीक्षायें।

Page No.20

(श्री भीखाभाई)

(ब) प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम : रिफ्रेशर्स कोर्स परीक्षा।

(स) उपवैद्य धात्री प्रशिक्षण परीक्षा।

भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के साथ इन परीक्षाओं की मान्यता के लिए कार्यवाही चालू है।

(२) आयुर्वेदीय परीक्षाओं के स्तर को समृद्ध बनाने के लिए राजस्थान विश्व विद्यालय आयुर्वेदीय फैकल्टी का निर्माण होकर उसके द्वारा आयुर्वेदीय परीक्षाओं का संचालन किये जाने का विषय राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय के निर्णयाधीन है और जब राजस्थान विश्वविद्यालय में आयुर्वेदीय फैकल्टी की स्थापना न हो तब तक के लिए नवीन स्वीकृत नियमावली के अनुसार आयुर्वेदीय परीक्षाओं का पृथक् ही उच्चस्तरीय रूप मे संचालित करने की दृष्टि से विशेषज्ञ विद्वानों का एक बोर्ड आयुर्वेद विभाग के तत्वावधान में राज्य सरकार ने गठित किया है। इस परीक्षा बोर्ड के प्रावधान को राजस्थान इन्डियन मेडिसिन एक्ट की धारा ६४ के अनुसार इन्डियन मेडिसिन बोर्ड, राजस्थान के आधीन लाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। जिसकी सूचना निर्णय होने पर दी जा सकेगी।

(३) राजस्थान सरकार, राजस्थान विश्वविद्यालय में आयुर्वेद फैकल्टी का निर्माण करा आयुर्वेदीय परीक्षाओं का संचालन उसके आधीन कर आयुर्वेदीय पद्धति को समृद्ध बनाने की उदार नीति रखती है।

डॉ० बहादुरसिंह : क्या आपने जो बोर्ड बनाया है उसका रजिस्ट्रार और सेक्रेटरी भी नियुक्त किया है ?

श्री भीखाभाई : यह तो अन्तरिम व्यवस्था है। इसके लिए तो फैकल्टी बन रही है, विश्व विद्यालय से बातचीत चल रही है और फिर यह अलग बोर्ड नहीं रहेगा।

डॉ० बहादुरसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि जो बोर्ड गठित किया गया है उसमें परीक्षा लेने के लिए सेक्रेटरी और रजिस्ट्रार की नियुक्ति की गई है क्या ?

श्री भीखाभाई : इसकी इस वक्त जानकारी नहीं है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : क्या यह सही है कि आपकी आयुर्वेदिक परीक्षाओं को डिपार्टमेन्ट से रिकोगनीशन नहीं किया गया है ?

श्री भीखाभाई : यह तो हमारे डिपार्टमेंट के अन्तर्गत इन्तजाम है।

श्री पी० के० चौधरी : This work has been entrusted to the the Registrar, Department Examinations and he has not recognised this examination as yet.

मंत्री, स्वास्थ्य (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): जवाब में यह कहा गया कि उच्चस्तरीय बोर्ड इसके लिए नियुक्त किया है।

डॉ० बहादुरसिंह : जो बोर्ड नियुक्त किया है क्या उसका कोई रजिस्ट्रार या सेक्रेटरी है, यह आपके नॉलेज में है क्या ? यदि नहीं, तो क्या आप सरकार की तरफ से ये नहीं देते हैं इस काम के लिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : जो बोर्ड बनाया गया उसका सेक्रेटरी होना चाहिए, लेकिन इस समय तहकीकी नहीं कह सकता।

डॉ० बहादुरसिंह : आपने बजट में तो व्यवस्था की होगी सेक्रेटरी की नियुक्ति के लिए ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह अलग से प्रश्न है।

श्री पी० के० चौधरी : इन परीक्षाओं की स्वीकृति के लिए किस किस विश्व विद्यालय से कब से कोरसपान्डेन्स चल रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : करीब एक साल से चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहब्बतसिंह।

राजकीय मर्दाना अस्पताल, सिरोही

३२८. श्री मोहब्बतसिंह (सिरोही) : Will the Minister for Medical and Public Health Department be pleased to state:—

(a) Whether the Government had plans to add one seventeen beded ward to the present strength of the Government Male Hospital, Sirohi before the end of the Second Five year Plan? If so, what is the progress made so far in this direction ?

(b) Whether the Government was long ago contemplating to provide sanitary fittings in the male and female hospitals at Sirohi, and estimates were ordered for this work ? what is the progress made in this direction now ?

उप-मंत्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : 1. Yes, Sir, we have a plan to provide 14 additional beds to Sirohi Hospital.

2. Yes Sir. But since funds are not available the work cannot be taken in hand.

श्री मोहब्बतसिंह : When will these funds be made available by the Government ?

श्री भीखाभाई : It is a question of finance and I cannot say definitely just but this is a phased programme and accordingly the work will be taken next time.

श्री भानसिंह (बयाना) : (अश्रव्य)

श्री मोहब्बतसिंह : Does the Government contemplate it to take in the next years' budget ?

श्री भीखाभाई : That is what I have just expressed, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्रीमती गंगादेवी डाटा।

सरकारी कर्मचारी बीमा योजना

३२६. श्रीमती गंगादेवी डाटा (रामगढ़) : क्या अर्थ मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) सरकार ने राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा योजना कब से लागू की है ?

(२) इस योजना के मातहत वार्षिक प्रीमियम कितना आता है ?

Page No.22

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

(३) योजना लागू करने के बाद से कितनी बार वेल्यूएशन करके बोनस पॉलिसी होल्डर्स में बांटा जा चुका है ? इसकी अन्तिम सूची (रिपोर्ट) सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या राजस्थान सरकार सरकारी कर्मचारियों के हित में इस बीमा योजना को लाइफ इन्श्योरेन्स कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया में दर्ज (मर्ज) करने के विषय में सक्रिय विचार कर रही है ?

(५) यदि हां, तो यह कदम कब तक उठा लिया जायेगा ?

(६) क्या राजस्थान सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने अपनी नियुक्ति की पुष्टि से पूर्व एल० आई० सी० ऑफ इन्डिया में बीमा करवा लिया है, उनको इस योजना के अन्तर्गत बीमे के लिए बाध्य नहीं किया जावेगा, ऐसा निश्चय व आश्वासन एल० आई० सी० ऑफ इन्डिया के उच्च अधिकारियों को दिया है ? यदि हां, तो क्या इस प्रकार का परिपत्र व उचित आदेश सब विभागों को दिये गये हैं ?

उप-मंत्री, वित्त (श्री रिखबचन्द धारीवाल) : (१) पहले जयपुर राज्य में जो अनिवार्य सरकारी कर्मचारी योजना लागू थी उसी को समस्त राजस्थान में १-१-१६५४ से लागू कर दिया है।

(२) इस योजना के मातहत इस समय वार्षिक प्रीमियम ५१,००,०००) रु० आता है।

(३) अब तक दो बार वेल्यूएशन हो चुके हैं और बोनस पॉलिसी होल्डर्स में बांटा जा चुका है। पहला वेल्यूएशन ३१-८-१६४६ तक व द्वितीय वेल्यूएशन ३१-३-१६५३ तक किया जा चुका है। बीमा नियमानुसार हर ५ साल के बाद वेल्यूएशन होना चाहिए। अब ३१-३-१६५८ तक का वेल्यूएशन कराना है जिसकी कार्यवाही की जा रही है। वेल्यूएशन रिपोर्ट ३१-३-१६५३ की संलग्न है।

(४) नहीं। यह बीमा योजना राजस्थान सर्विस रूल्स की धारा २१ के अन्तर्गत चालू की गई है जो कि नौकरी की एक अनिवार्य धाराओं में से है। यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया से ज्यादा लाभदायक है। अतः इस योजना को लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ इन्डिया में (मर्ज) विलीनीकरण करवा दिये जाने के विषय में विचार करने का प्रश्न नहीं उठता।

(५) प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) वे कर्मचारी जिन्होंने अपनी नियुक्ति की पुष्टि से पहले लाइफ इन्श्योरेन्स कॉर्पो० ऑफ इन्डिया में बीमा करवा रखा है, उन्हें भी इस योजना के अन्तर्गत बीमा करवाना अनिवार्य होगा। चूंकि राज्य बीमा समस्त स्थायी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, नियुक्ति की पुष्टि से पूर्व बीमा हुए कर्मचारियों को छूट मिल सकेगी ऐसा कोई आश्वासन लाइफ इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इडन्या को नहीं दिया गया है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्रीमती गंगादेवी डाटा : जो पहली बार वैल्यूएशन हुआ है उसकी कितनी रकम

(श्रीमती गंगादेवी डाटा)

प्रति हजार के ऊपर पॉलिसी होल्डर्स को बांटा गई है ?

एक माननीय सदस्य : सुना नहीं।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : यह जो पहली बार वैल्यूएशन हुआ है उसकी कितनी रकम पॉलिसी होल्डर्स को प्रति हजार के ऊपर बाँटी गई है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह जो वैल्यूएशन की रिपोर्ट है उसी में दर्ज है। आप उसका मुलाहिजा कर लीजिए।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : मैं सन् १६४६ की जानना चाहती हूं, पहली बार की।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह पॉलिसी रिपोर्ट ३१-८-४६ और ३१-३-१६५३ की तैयार है। इससे पहले का, ३१-८-४६ की रिपोर्ट इस समय मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : जो सन् १६५३ में सिफारिश की गई है क्या उसके ऊपर कोई अमल हुआ है ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : यह जो सिफारिश की गई है उसके ऊपर बराबर अमल हुआ है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : क्या इसकी सूचना आपने पॉलिसी होल्डर्स को कभी दी ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : इसके बारे में ? पॉलिसी होल्डर्स को सूचना देना जरूरी नहीं है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : इस बात की सूचना कि आपका बोनस इतना डिक्लेयर किया गया है और जो बोनस डिक्लेयर हुआ है वह उनको दिया भी जायेगा या नहीं ?

श्री रिखबचन्द धारीवाल : बोनस बराबर डिक्लेयर किया गया है और इसकी सूचना पॉलिसी होल्डर्स को है और जो बोनस डिक्लेयर हुआ है वह उनको दिया जा चुका है व बाकी होगा तो दिया जावेगा।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : आखिर डैथ क्लेम्स भी तो आये होंगे क्या उनको आपने ५६ के बाद में बोनस बांटा ?

श्री रिखबचंद धारीवाल: बोनस उनको दरअसल में बांटा गया है या नहीं इसकी सूचना तो नहीं है लेकिन जो बोनस की वैल्यूएशन या एक्चुएली रिपोर्ट के अनुसार दिया गया है उसके अनुसार बराबर कार्यवाही की गई है।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : सन् १६५३ में आपने बोनस डिक्लेयर किया। आपने सिफारिश की है उसके बाद में भी आपके पास में डैथ क्लेम्स आये होंगे तो बोनस उनको दिया या नहीं, आपने उनका बोनस जोड़ा या नहीं ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : सन् १६५३ के बाद में ऐसे केसेज आये हैं उनके अन्दर यह दिया गया है या नहीं दिया गया है इसकी हर एक की मेरे पास में इस वक्त जानकारी नहीं है।

Page No.24

श्रीमती गंगादेवी डाटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत ही विचारणीय विषय है जो कि हजारों इन्सानों के लिए बहुत जरूरी है। एक तरफ तो २० पर्सेन्ट देते हैं और आप १० परसेन्ट देते हैं और आपको पता ही नहीं कि बोनस बांटते है या नहीं बांटते हैं तो इस कन्फ्यूजन को तो आपको दूर करना चाहिए।

श्री रिखबचंद धारीवाल : मैंने निवेदन किया कि दर असल डेथ क्लेम वालों को बांटा गया है या नहीं यह तो प्रश्न आपने पूछा भी नहीं है।

कुछ माननीय सदस्य : पूछा है।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : This was asked in the question. It was very clear, Sir, whether the bonus was distributed and if the Hon'ble Dy. Minister is unable to reply it is very ridiculous.

श्री रिखबचंद धारीवाल : There is nothing to become too hot. I have already said that...

श्री पी० के० चौधरी: No, the Hon'ble Minister should give a clear reply It was asked whether the bonus was distributed or not ?

श्री रिखबचंद धारीवाल : I cannot give this information because this information is not with me in respect of death claims.

श्री पी० के० चौधरी: It is his responsibility and he should give that reply.

श्रीमती गंगादेवी डाटा : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न के तीसरे भाग में स्पष्ट पूछा है कि योजना लागू करने के बाद में कितनी बार वैल्यूएशन करके बोनस पॉलिसी होल्डर्स में बांटा जा चुका है इसकी अन्तिम सूचि (रिपोर्ट) सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। आपने सूची तो दी है। आपने सन् ५३ में डिक्लेयर किया है, १० पर्सेन्ट की सिफारिश की है। अगर सिफारिश की है तो उस पर अमल हुआ या नहीं? अगर अमल हुआ तो भी डेथ क्लेम्स आते हैं उन पॉलिसी होल्डर्स को डेथ क्लेम्स के साथ में बोनस दिया या नहीं दिया?

श्री उपाध्यक्ष : 'Mananiya Sadasya, has got a grip over the subject ......

श्रीमती गंगादेवी डाटा : यह तो राजस्थान के जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक चीज है, वे सब कन्फ्यूजन में हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी महत्वपूर्ण समझता हूं।

श्री पी० के० चौधरी : It is a very inportent question the Hon' ble Member has raised.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : I think the answer is very clear, अब दो बार वेल्यूएशन हो चुका। अब बोनस पॉलिसी होल्डर्स में बांटा जा चुका है। इसके बारे में आप कोई स्पेसिफिक पॉलिसी होल्डर के बारे में पूछें तो मेरे पास रिप्लाई नहीं है। I have already replied and the Hon'ble Memebr is unnecessarily insisting upon it.

Page No.25

श्री पी० के० चौधरी : When it was distributed.

श्री रिखबचन्द धारीवाल : That I cannot say ...... कब बांटा गया यह नहीं कह सकते। किसी पर्टीक्यूलर पॉलिसी होल्डर्स के बोनस के लिए पूछते तो इसकी सूचना दी जा सकती थी।

श्री भोलानाथ (लछमणगढ) : यह माननीय अध्यक्ष (हंसी) को जो वेल्यूएशन की रिपोर्ट दी है उसके पेज ७ पर लिखा है...

श्री पुरुषोत्तमलाल शर्मा (किशनगढ): यह माननीय अध्यक्षा यहां से आ गई ?

श्री उपाध्यक्ष : I hope a little more attention is to be paid to the Chair.

श्री भोलानाथ ; आपको जो वेल्यूएशन की रिपोर्ट दी है उसमें सिफारिश की गई है १० पर्सेन्ट का बोनस बांट दिया जाना चाहिये तो सवाल यह है कि सिफारिश के मुताबिक कोई बोनस बांट गया है या नहीं।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : मैंने कहा कि बांटा जा चुका है और काफी को बांट भी दिया गया है। आप फिर भी इस पर इनसिस्ट कर रहे हैं।

श्री पी० के० चौधरी : In which year? किस साल में बांटा है आपने ?

श्रीमती गंगादेवी डाटा : क्या यह आप बराबर बांट रहे हैं।

श्री भोलानाथ : उपाध्यक्ष महोदय, यह उत्तर दिलाने की कृपा कराईये कि क्या यह १० पर्सेन्ट की सिफारिश सरकार ने मान ली है क्या वेल्यूएशन की रिपोर्ट के अनुसार ? वेल्यूएशन की रिपोर्ट के पेज ७ पर पैरा १ मार्क किया हुआ है।

श्री रिखबचन्द धारीवाल : जी हां, यह सिफारिश १० पर्सेन्ट की मान ली गई और बोनस बांटा गया।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री दयाकृष्ण-विजय।

श्रीमती गंगादेवी डाटा : उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और है.......

श्री उपाध्यक्ष : अब आप मिल लीजिए आपसे। इस विषय में और भी बहुत सी बातें होंगी।

ग्राम रायपुर तहसील शाहबाद (कोटा) में पानी का अभाव

३२०. **श्री दयाकृष्ण विजय** (छबड़ा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ;-

(१) क्या यह सही कि ग्राम रायपुर, तहसील शाहबाद, जिला कोटा में जनता को पानी का कष्ट है।

(२) क्या यह सही कि जल बोर्ड की ओर से सन् १६५६-५७ में कुंआ खोदने के लिए रकम दी गई थी ? यदि हां, तो कितनी।

(३) क्या यह सही है कि अभी तक कुंए में पानी नहीं निकला है।

(४ उक्त कुंए पर कितनी रकम व्यय हो चुकी है।

Page No.26

(श्री दयाकृष्ण विजय)

(५) क्या सरकार तहसील के इस बड़े ग्राम में पानी की व्यवस्था के लिए कोई और योजना बना रही है यदि हां, तो क्या।

मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री बद्रीप्रसाद-गुप्ता) ; (१) जी हां।

(२) जी हां। ५,७५०) रु० दिया गया था।

(३) जी हां।

(४) ६,०००) रुपये।

(५) वर्तमान समय में तो ऐसी कोई योजना नहीं है।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सरकार ६,०००) रु० व्यय करने के बाद में भी उचित नहीं समझती कि जो पानी के लिए योजना बनाई जा रही है उसको पूरा किया जाय।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह पहले भी सदन को सूचना दी जा चुकी है कि यह काम डिस्ट्रिक्ट डवलेपमेंट कमेटी को सौंप दिया गया है। यह तो उनको देखना चाहिये कि किस को पूरा कराना चाहिये, किस को नहीं।

श्री दयाकृष्ण विजय : क्या सही है कि पानी की योजना काफी समय से चल रही है और अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट डवेलपमेंट कमेटी में सब कुछ हो चुका है। क्या दूसरी जगह से पानी लाया जा सके इसके लिए योजना लानी चाहिये।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : पहले तो इस काम को वाटर बोर्ड करता था अब उनका सारा रुपया डिस्ट्रिक्ट डेवेलपमेंट कमेटी को ट्रांसफर कर दिया गया है और उनको इस मामले में कार्यवाही करनी चाहिये और माननीय सदस्य भी उसके सदस्य हैं उनको उससे कह कर इस काम को कराना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बेनाराम.

पंचायतों को गोचर भूमि नीलाम करने सम्बन्धी अधिकार

३२१. श्री बेनाराम गहलोत (खारची): क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या गोचर भूमि से लूंग, पालड़ी, पाला आदि नीलाम करना पंचायत के अधिकार में है। यदि हां, तो पंचायत अधिनियम की कौन सी धारा के अन्तर्गत है।

उप-मंत्री स्वायत्त शासन (श्री दौलत राम सारण) : जी हां, राजस्थान पंचायत अधिनियम सन् १९५३ की धारा २४ (११) के अन्तर्गत।

१२ मध्यान्ह

पाबूबारी, बीकानेर के पास रहने वाले मेघवालों के मकानों के स्थायी पट्टे

३२२. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर-सिटी) : क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

क्या बीकानेर की मेघवाल जाति के लोगों ने जो पाबूबारी के पास रहते हैं मकानों के अलग अलग स्थायी पट्टे बनाने के संबंध में राजस्थान सरकार के

(श्री मुरलीधर व्यास)

पास कोई प्रार्थना पत्र भेजा है ? यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

मंत्री, राजस्व (श्री दामोदरलाल व्यास): जी हां। सरकार इन लोगों को निम्नलिखित शर्तों पर पट्टा जारी कर रही थी:—

(१) ये लोग एक रुपया प्रति पट्टा के हिसाब से शुल्क देवें।

(२) जिस कार्य में भूमि आ रही थी उसी कार्य में आती रहेगी।

(३) इस भूमि को किसी को भी मुस्तकिल न कर सकेंगे।

परन्तु इन लोगों ने इन शर्तों पर भूमि लेने से इन्कार कर दिया।

श्री मुरलीधर व्यास : जिस स्थान पर ये लोग रहते हैं वहां वे कितने वर्षों से रह रहे हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर्स के लिए जो जमीन जिनको दी गई है वह टेम्पोरेरी है। पट्टा उनको दिया जाता है इसका मतलब यह है कि उनको परमेनेन्ट राईट्स देते हैं। पुख्ता मकान बना कर वे रह सकते हैं। उसका पट्टा होता है। गवर्नमेंट ने यह फैसला किया है कि हरिजनों को जिनको टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर के लिए जमीन दी गई है और जिसमें वे रहते हैं उनको बाकायदा मकान बनाने के लिए केवल एक रु० फी पट्टे की फीस लेकर जमीन दे दी जाय। मगर उनको ट्रान्सफरेबल राईट्स नहीं हैं। मकान बनाने के लिए जमीन दी जाती है उसमें मकान बना सकते हैं वे ट्रान्सफर नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने आदेश अप्रेल, १६५५ में दिये थे। उन लोगों को यह ऑफर किया गया है कि १ रु० फी मकान पट्टे की फीस जमा करके शर्तों के साथ पट्टा ले लें। मगर इन शर्तों से पट्टा लेने को उन लोगों ने इन्कार कर दिया।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री (आमेर-सु०) : यह कानून...

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री मुरलीधर व्यास : यह जिन लोगों को आपने १) रु० पर पट्टा देने की बात कही है वे कब से वहां रहते हैं ? शायद १०० साल पहले से रहते हैं। उस वक्त जमीन की कीमत बिल्कुल नहीं थी। उस पर उन्होंने अपने घर बनाये हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : कीमत का प्रश्न नहीं है, वर्ग का प्रश्न नहीं है। गवर्नमेंट ने यह कन्सेशन केवल उन लोगों को दिया है जो हरिजन हैं और टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर पर ४० साल से रहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : जो ४० साल के पहले से रहते हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : ४० साल से रहते हैं उसका मतलब यही है कि ४० साल और ४० साल से पहले से रहते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : पहले से रहते हैं तो उस वक्त जमीन की कीमत कुछ नहीं थी। इतने दिनों से वहां पर मकान बनाकर बस गये हैं तो पट्टा देने के लिए शर्त रखते हैं जबकि दूसरों के लिए यह शर्त नहीं है और जमीन को स्थायी रूप से देते

Page No.28

(श्री मुरलीधर व्यास)

हैं तो कोई खास पॉलिसी डिसाइड करनी चाहिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : शायद माननीय सदस्य परिचित नहीं हैं कि राजस्थान में भिन्न भिन्न रियासतों में अलग अलग कायदे थे। टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर्स पर कई बरसों से रहते आये हैं तो उनके राईट्स पैदा नहीं होते हैं। स्पेशल कन्सेशन दिया है उसको बजाय एप्रिशियेट करने के आप कहते हैं कि एक रुपया फीस रखी है। केवल एक रुपये की फीस में पक्के मकान बना सकते हैं। उनको सब राईट्स दिये हैं, लेकिन वे ट्रान्सफर नहीं कर सकते है। एक रुपया फीस लेकर जमीन देते हैं तो बसाने के लिए देते हैं, बेचने के लिए नहीं देते हैं।

श्री पुरूषोतमलाल शर्मा : उनका एडवर्स पजेशन नहीं माना जायगा क्या ?

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर्स हैं और लैण्ड का टेम्पोरेरी अलॉटमेंट हैं। तब मालिक चाहे या स्टेट चाहे तब बेदखल कर सकती है। माननीय सदस्य शायद जानते हैं कि एडवर्स पजेशन....

श्री पुरूषोतमलाल शर्मा : सरकार के खिलाफ एडवर्स पजेशन लेंगे नहीं क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : मकान बना लिये हैं और पहले से पक्के मकान बना लिये हैं। अब क्या टेम्पोरेरी हैं। उनको छूट दी जाय, उनकी रेट्स कम कर दी जायं ताकि सदा मकान बना सकें।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर उनके मकान हैं तो हम भी पर्मानेन्टली देने को तैयार हैं। उनको सब राईट्स मिल जायेंगे। अगर वे सब की तरह से पैसा देने को तैयार हों तो। कन्सेशन चाहते हैं तो कन्सेशन इसलिए दिये जाते हैं कि वे हरिजन हैं, उनको रीहेबिलिटेट कर दिया जाय, वे आबाद हो जायं। लेकिन उनको ट्रान्सफर के राईट्स नहीं दिये जा सकते हैं और न ही देना चाहिए उसूलन।

श्री मुरलीधर व्यास : आप जांच करवालें कि ४० साल से या कब से बसे हुए हैं ? उस वक्त जमीन की कीमत कम थी। आप जांच करवा कर देखें कि आसपास की जमीन जिस हिसाब से दी गई है उस हिसाब से दी जाय। मेरे कहने का मतलब यह है कि कब से बसे हैं, जांच करवा लें और ४०, ५० साल पहले आसपास की जमीन किस भाव में बिकी है उस भाव में उनको दे दी जाय। ५० साल पहले से अब कीमत बहुत बढ़ गई है। आप कैसे इतनी कीमत मांग रहे हैं कि वे अदा नहीं कर सकते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं आपसे अर्ज कर दूं कि उनको स्पेशल कन्सेशन दिया गया है अब बाकी उनको जमीन खरीदनी है तो म्यूनिसिपेलिटी के मुताबिक उसके जो नियम हैं उस हिसाब से खरीद लें। लैण्ड के राईट्स म्यूनिसिपेलिटी में वैस्ट करते हैं।

जनस्वास्थ्य विभाग, सेतड़ी के कर्मचारियों का फिक्सेशन

३२३. **श्री रामकरणसिंह** (कोटपुतली) : क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(श्री रामकरणसिंह)

टिकाना खेतड़ी के मैडिकल विभाग के कितने कर्मचारियों का फिक्सेशन हो चुका है ? कितनों का बाकी है व अब कब तक हो जाने की आशा है ?

उप-मन्त्री, स्वास्थ्य (श्री भीखाभाई) : ठिकाना खेतड़ी के मैडीकल विभाग के डॉ० ए० एन० मुखर्जी के अतिरिक्त समस्त कर्मचारियों का फिक्सेशन हो चुका है ।

डॉक्टर का मामला महालेखापाल के दफ्तर में विचाराधीन है और आशा है कि जल्दी ही तय हो जायेगा ।

श्री रामकरणसिंह : फिक्सेशन कब किया गया है ?.

श्री भीखाभाई : जब से खेतड़ी का अस्पताल सरकार में आया ५४ से । (फाइल देखकर) १६ जुलाई, १६५४ से ।

श्री रामकरणसिंह : थोड़ी जानकारी दे दूँ कि मैंने केवल खेतड़ी अस्पताल के लिए नहीं पूछा है बल्कि सारे टिकाने के कर्मचारियों के बारे में पूछा है ।

श्री भीखाभाई : मैडिकल डिपार्टमेन्ट की तारीख है मेरे पास, दूसरे डिपार्टमेन्ट की नहीं है ।

श्री रामकरणसिंह : यह केवल खेतड़ी के हॉस्पिटल के बारे में ही नहीं है बल्कि तमाम मैडिकल विभाग का है । क्या जितने भी कर्मचारी मैडिकल विभाग में थे उन सब का फिक्सेशन हो चुका है ?

मन्त्री, स्वास्थ्य (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): मैडिकल विभाग में जितने भी कर्मचारी आये हैं उनका फिक्सेशन हो चुका है । यूनिफाइड पे स्केल्स सब को मिलेगीं सिवाय डॉ० मुखर्जी के जिनका केस एकाउन्टेन्ट जनरल के पास रेफर किया गया है, एक श्री मांगीलाल नाम के वेक्सीनेटर है उनका इन्टिमेशन हो चुका है लेकिन उनका रेशनेलाइज्ड पे स्केल का केस चल रहा है ।

श्री रामकरणसिंह : तो क्या यह माना जाय कि जितने दूसरे लोग थे खेतड़ी टिकाने में, इस डिपार्टमेन्ट के आधीन उन सब कर्मचारियों को शामिल कर लिया गया है ।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : मैंने अर्ज किया कि मैडिकल डिपार्टमेन्ट के बारे में तहसील के या और कर्मचारियों के बारे में नहीं है ।

श्री रामकरणसिंह : ठिकाना खेतड़ी एक कोई छोटा सा गांव तो नहीं है । उसमें कई तहसीलें थीं तो जितने भी मैडिकल विभाग के कर्मचारी उन तहसीलों में थे उन सब के बारे में जानकारी चाही है । क्या मैं यह मानूं कि जो जानकारी दी गई हैं वह सारे टिकाने खेतड़ी के कर्मचारियों के लिए ही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : टिकाना खेतड़ी से मैडिकल विभाग में जो आये हैं और जो इस विभाग में ऑलरेडी काम कर कर रहे हैं उनके बारे में उत्तर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री श्रीमानसिंह ।

म्युनिसिपल बोर्ड, भरतपुर, की सदस्यों में बकाया रकमें

३२४. **श्री श्रीमानसिंह** (बयाना): Will the Minister for Local Self Government please state:—

(श्री श्रीमानसिंह)

(1) Is any amonnt of the Municipal Board, Bharatpur due on any of its members, present or previous ones? If so, please give their names and the sums due then and since when outstanding?

(2) What steps have been taken by the Board or the Director of Local Bodies to recover this amount from them?

मन्त्री, स्वायत्त शासन (श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता): (1) Yes. The names of the members, against whom the amount is due along with the dates are as under:

कि कितने कितने ड्यूज़ किस किस मेम्बर के खिलाफ बाकी हैं। डी० एल० बी० ने उनके नाम क्यों नहीं इन्क्ल्यूड किये?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: यह सवाल हमारे पास आया था तो हमने बोर्ड को भेजा है और बोर्ड ने एक लिस्ट भेजी है कि फलां-फलां आदमियों में इतना बकाया है। मैं समझता हूँ कि अगर ऑडिटर ने बताये हैं तो भी होने चाहियें।

श्री श्रीभानसिंह: ऑडिटर ने जिनके ड्यूज़ निकाले हैं उनका नाम भी शामिल नहीं है तो क्या फिर आप ऑडिट रिपोर्ट से कम्पेअर करके....

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मैंने अर्ज किया है कि बोर्ड ने लिस्ट भेजी है। वह यह है। अगर इसमें गल्ती हो तो बता दें।

Sl. No.	Name of the Member	Present or previous Board.	Amount due	Date from which the amount is due
1.	Shri Shiva Charan Lal	Previous	Rs. 104/-	1947,
2.	„ Tulsiram Mittal	do	45/-	23.1.54
3.	Shrimati Priamvada Chaturvedi	do	222.81	1953 to 1956
4.	Shri Suresh Kumar Sharma	Present and previous	320/-	12.12.56
5.	Shri Nand Ram	do	2,070/-	18.11.56

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री श्रीभानसिंह: What are dues? ड्यूज़ आये हैं वे क्या डी० एल० बी० के थ्रू आये हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: मुझे एक लिस्ट भेजी है कि फलां आदमी के पास इतना बकाया है।

श्री श्रीभानसिंह: पिछले साल ऑडिट कराया था उस ऑडिट रिपोर्ट में बताया था

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर): मेम्बर्स कौन कौन हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता: दो मेम्बर हैं। श्री सुरेशकुमार और श्री नन्दराम।

श्री श्रीभानसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह आपने बोर्ड से नाम क्यों नहीं माँगे?

Page No.31

(श्री श्रीभानसिंह)

क्या डी० एल० बी० के पास नाम नहीं हैं जिनके पास ड्यूज़ मौजूद हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह म्युनिसिपेलिटी का ही सवाल है और उससे जो लिस्ट माँगी गई और उन्होंने जो लिस्ट भेजी है वह ठीक होनी चाहिये। ऑडिटर्स ने भी म्युनिसिपेलिटी का अकाउन्ट देखकर ही रिपोर्ट दी है। आपके ध्यान में और भी कोई गल्ती हुई हो तो फिर पूछ लेंगे।

श्री श्रीभानसिंह : ऑडिट रिपोर्ट में पॉइन्ट आउट किया है लेकिन उनके नाम इस लिस्ट में नहीं हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बोर्ड ने ऑलरेडी कार्यवाही शुरू कर दी है। उनको पहले नोटिस दिया जाता है। बाद में ड्यूज़ नहीं देते हैं तो आगे कार्यवाही की जाती है।

डॉ. बहादुरसिंह (धौलपुर) : क्या यह सही है कि मौजूदा चेयरमैन में भी ड्यूज़ बाकी हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनका नाम क्या है ?

डॉ० बहादुरसिंह : डॉ० महेशचन्द्र भारथी।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इस लिस्ट में उनका नाम नहीं है।

डॉ. बहादुरसिंह : क्या डाइरेक्टर ऑफ लोकल बॉडीज की तरफ से उनके खिलाफ एक्शन लेने की कार्यवाही चलेगी ?

श्री श्रीभानसिंह : अगर उनका नाम ऑडिट रिपोर्ट में मौजूद है तो क्या वही कार्यवाही उनके खिलाफ की जायेगी या वही एक्शन लिया जायगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : उनको डिस्क्वालिफाइ करने का हुक्म सब के लिये एक ही है अगर ड्यूज़ नहीं देते हैं, नोटिस देने के बाद भी, तो डिस्क्वालिफाइ अपने आप रूल्स के हिसाब से हो जाते हैं।

श्री श्रीभानसिंह : यह जवाब आपके पास डी० एल० बी० की मार्फत आया होगा। उन्होंने उसे ऑडिट रिपोर्ट के साथ चैक नहीं किया क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : बोर्ड ने नोटिस दिया है और उसी को एक्शन लेने का अधिकार है। पहले तीन तीन महीने का नोटिस दिया जाता है।

श्री श्रीभानसिंह : क्या यह माना जाय कि अगर उनके खिलाफ ड्यूज़ बाकी हैं तो ऑटोमेटिकेली डिस्क्वालिफाइ हो जायेंगे या गवर्नमेंट उनको डिस्क्वालिफाइ करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : यह तो कानून में है।

श्री श्रीभानसिंह : पिछली बार जब लिस्ट आपके पास आई तो थ्रू डी० एल० बी० आई होगी तो डी० एल० बी० ने उसे ऑडिट रिपोर्ट से क्यों नहीं टेली किया और हाउस को करेक्ट इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी ?

Page No.32

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ऑडिट रिपोर्ट भी बोर्ड के पास ही भेजी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल करौल।

(अनुपस्थित)

श्री शंकरलाल।

(अनुपस्थित)

श्री हुकमसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय,...

डॉ बहादुरसिंह (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरा एड्जोर्नमेंट मोशन था उसका क्या किया?

श्री उपाध्यक्ष : आपको सूचना नहीं मिली क्या? उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। सरकार की ओर से वैद्यों के लिये कोई आज्ञा प्रदान कर दी गई है। वह आज्ञा आई है। आप चेम्बर में आकर देख लीजिये।

राजस्थान मृत्युभोज निवारण विधेयक, १६५६

(प्रवर-समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयक को विचारार्थ लिये जाने के प्रस्ताव पर वादविवाद)

श्री दामोदरलाल व्यास : (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान मृत्यु भोज निवारण विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (शाहपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें प्रिलिमिनेरी ऑब्जेक्शन है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं तो इसे विचारार्थ लेने के लिये मूव कर चुका हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Sir, the Hon'ble Minister-in-charge has placed the report of the Select Committee before the House and in para No. 1 he says:- "I, the Chairman of the Select Committee to which the Bill to provide for the prevention of funeral feasts was referred, having been authorised in this behalf, do hereby present this Report, with the Bill as amended by the Select Committee annexed thereto." and in the last paragraph it says:-"The Committee recommend the Bill be passed as now amended."

While considering this Bill, the Select Committee took certain decisions and they have been incorporated in the report of the Select Committee but it is very unfortunate that these decisions could not be incorporated in the amended Bill placed before the House. Because of the debate going on for the last three days, the Assembly Secretariat realised this and in a hurry issued a corrigendum which we received this morning. It has tried to correct some of the mistakes by that corrigendum but there still remain many major mistakes, the corrigendum can not cure mistakes which are inherent in the Bill but because of the ruling given by your honour, I do not agitate this point. But there are

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

some important points which I bring to your kind notice. There is clause 6 in the Bill as it was, which runs:-

"No Court other than of a Magistrate of the First Class shall take cognizance of, or try, any offence punishable under this Act."

Now this whole clause envisages two things. One thing is that no Court, either inferior or superior to the First Class Magistrate, will take cognizance of or try any offence. It means that it restricts the power to only one Court, i.e. First Class Magistrate, and two functions have been given to this Court, one to take cognizance of and second to try the offences. Now regarding this clause 6, these are the decisions taken in the Select Committee:-

"The Committee feel that provisions regarding cognizance of offences should more appropriately come at a latter stage in the Bill, The clause has, therefore, been omitted".

Then for clause 8A, it says: -

"For the reasons given for omitting clause 6, this new clause embodying the provision contained in original clause 6 has been added here."

That means that they wanted to embody the same provision in the Bill but at a place later than that where it is at present, and thus added new clause 8A.

श्री उपाध्यक्ष : I want to be more clear on this issue. You mean to say that this clause 6 was substituted at clause 8A ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Yes Sir. It said that provision of clause 6 should be taken from its present place and should be put as clause 8A.

श्री उपाध्यक्ष : That means clause 6 has to be deleted.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Clause 6 was to be put as clause 8A. Now the intention of the Select Committee is very clear that they wanted to retain the same provision about the taking cognizance of and trying the offences by none else than the First Class Magistrate. Now I will read out clause 8A as in the amended Bill:—

"8A. Cognizance of offences.—No Court inferior in rank to that of a magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act."

Now I bring two things to your kind notice. Firstly the Committee meant that no Court other than the First Class Magistrate, whether inferior or superior, should try or take cognizance of the offence, but according to the new clause 8A which has been printed in the Bill,

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

any Court superior to the Court of First Class Magistrate can try the cases. This was not at all the intention of the Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : You mean to say that new clause 8A does not convey the intention of the Select Committee ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Yes Sir. Because the intention of the Select Committee was to retain the old clause 6 as it was. Only it was to be put as clause 8A instead of 6.

The second objection is that in the old section there were mentioned two functions of First Class Magistrate. One was of taking cognizance of and the other was of trying the offences. In this amended clause 8A, 'taking cognizance of' has disappeared, which means taking cognizance of can be done by any Court though the intention of the Select Committee was that the First Class Magistrate alone should take cognizance as well as try the offence, but according to the amended clause as it has been put in the Bill, any Court can take cognizance of the offence, but it will be tried by a court which is not inferior to the court of a First Class Magistrate. So this is also against the decision taken by the Select Committee.

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Ladha, according to the errata which has been issued, this has been corrected—'take cognizance of'.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : No Sir. It is not in the errata. It is in the amendments. But amendments are not to be considered at this stage. They will be considered only when clause-by-clause discussion is taken up. At this stage we are only to discuss the principles of the Bill.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : This is not an errata. It is list of amendments.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : So in this way, by altering clause 8A, the Secretariat or anybody in-charge about these functions is responsible for doing things which the Select Committee never intended to provide in the Bill.

Second objection is this, Sir, that in the clause 6A in the amended Bill, its sub-clause (2) runs:—

"(2) Any such Sarpanch, Panch, Patwari or Lambardar failing to give the information required by sub-section (1) to communicate shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to three months or with fine or with both."

I am given to understand that the Select Committee had taken certain decisions about the extent of fine also. This also has not been included

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

in the amend clause. The minutes of the meetings may be checked. These two objections taken by me are substantial. They are not technical only but they are legal and substantial. The errors are substantial wich can not be cured in any other way then to refer this matter to the same Select Committee for reconsideration and after reconsideration the report may be submitted the same day.

श्री उपाध्यक्ष : The second amendment that has been inserted in the errata corrects it.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : No Sir. That is another difficulty. I am talking of clause 6A. The amendment given in the errata is for clause 5 and not for clause 6A (2).

These are the two preliminary objections and I wish that the matter may be referred to the same Select Committee for re-consideration about these provisions becauee they are substantial errors and the Select Committee may be directed to submit its report the same day.

श्री पी.के. चौधरी : Mr, Deputy Speaker, Sir I will suggest that the consideration of the Bill may be postponed, and as the Hon'ble Member suggests this Bill may be referred to the same Select Committee. I would also like to know as to what happened to the Panchayat Samities Bill. Whether the Hon'ble Deputy Speaker has checked up the Minutes and proceedings, because more these things are coming to our notice, the more we are losing our confidence as to whether the amended Bill is always in accordance with the report of the Select Committee or not. We are losing our confidence in this. We would like these things to be checked-up and I will suggest that this Bill should not be taken into consideration.

Over and above this thing, the Hindi copy was circulated after 10 P. M. last night, while according to rules we should be given 2 days' time for consideration. So on this ground also, this Bill should not be taken in to consideration.

श्री सोहनलाल भटनागर (सलूम्बर) : मेरा मोशन इस बिल को सलेक्ट कमेटी को वापिस भेजने का है, उस पर डिस्कशन हो जाय।

श्री श्रीमानसिंह (बयाना) : I think I have a via-media for the thing. This Hindi Bill does not contain the notes of dissent. Both the notes of dissent to this Bill are in Hindi and they should have been included in the Hindi translation of the Bill, but they have not been incorporated. This is very fundamental. The House may adjourn for an hour or two andt he Select committee may meet and consider these things. so that we can meet after 2 hours, because this thing is becoming common and we cannot proceed under these circumstances. The Bill does not reflect the inten-

Page No.36

(श्री श्रीमानसिंह)

tions of the Select Committee, as pointed out by the Hon'ble Member. Why this has been done, will be seen by the Select Committee and I suggest that we should adjourn for an hour or two and the Select Committee should meet immediately and reconsider the Bill.

श्री पी० के० चौधरी : The House is losing confidence in the Bills which are presented in the House. We can not take for granted that the decisions of the Select Committee are embodied in the Bill and in such circumstances the Chair should take proper action to restore the confidence of the House in the Select Committee reports and that they do embody the recommendations of the Select Committee.

मेजर श्री फतेहसिंह (भीम) : Sir, there are other points also. It appears that our Secretariat has been very callous in these matters. In clause 2 it says:- "in pursuance of the performance of religious or secular rites, not excluding in the aggregate one hundred persons in number."

I cannot understand this. It should be 'not exceeding'.

श्री उपाध्यक्ष : We have already issued a corrigendum. In that it has been corrected as 'exceeding'.

मेजर श्री फतेहसिंह : Well, Sir, we have not received that errata.

श्री श्रीमानसिंह : As regards the receiving of these types of erratas, I will submit that I will have to refuse to receive them at 12 O'clock at night.

श्री उपाध्यक्ष : So far as this 'excluding' is concerned, there are Hon'ble Members who have read it rightly as 'exceeding' and Mr. Chandliary has also moved an amendment in the same clause. These are printing mistakes.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : I would like to know if under the Rules, a document received by us at 12 O clock in the night should be deemed to have been received at 10 clock in the next morning. Are there any office hours for the members also or they should get up at 12 in the night and receive the documents which they are supposed to receive two days before ? We have received it at 12 O'clock in the night.

रावराजा श्री सरदारसिंह (उनियारा) : साहब, मेरे यहाँ तो रात को ३ बजे फाटक कूद कर असेम्बली का चपरासी आया।

श्री उपाध्यक्ष : ३ बजे गया इसका क्या पता चला ? Yes, Hon'ble Minister.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): The Hon'ble Member from Shahpura has taken certain objections. One is about clause 6 and his contention is that 'take cognizance of or' has been omitted and secondly the words are that "no Court inferior to First Class Magistrate" that means any Superior

(श्री दामोदरलाल व्यास)

Court will take cognizance. I will draw his attention to Section 193 of the Criminal Procedure Code in which it is clearly stated that:—

"Except as otherwise expressly provided by this Code or by any other law for the time being in force, no Court of Session shall take cognizance of any offence as a Court of original jurisdiction unless the accused has been committed to it by a Magistrate duly empowered in that behalf."

श्री पी० के० चौधरी (कुम्हेर) : One thing Sir, our contention is that whether it is legally correct or not, what we want is that the wording of the Select Committee report......

श्री उपाध्यक्ष : Order, order Mr. Chaudhary.

श्री तनसिंह (बाड़मेर) : What about District Magistrate ?

श्री दामोदरलाल व्यास : He is a First Class Magistrate. So this apprehension of the Hon'ble Member that any Superior Court than the First Class Magistrate can take cognizance is not well founded.

एक माननीय सदस्य : Is there any change in the degree of sentence to be passed by a First Class Magistrate and the District Magistrate ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The District Magistrate has certain additional powers, but so far as the degree of sentence is concerned, it is the same. The punishment is prescribed in the Bill itself. The punishment is prescribed in this Bill and the trying Magistrate will be First Class Magistrate but even if a District Magistrate tries it makes little difference. The Hon'ble Member was apprehending that any Court Superior to First Class Magistrate, say Sessions Court, would take cognizance. That is clearly barred under Section 193 of the Cr. P. C.

(श्री पी० के० चौधरी : के बोलने हेतु खड़े होने पर) ।

श्री दामोदरलाल व्यास : Don't be impatient. I will try to satisfy the House. So far as other points are concerned, I must frankly submit that there have been mistakes in printing of the Bill and I would like to tell you that the Select Committee and the Secretariat have been very busy these days because we wanted to summon the session very early and the Secretariat staff was over-burdened. They worked beyond office hours and so these mistakes have been committed, whether they may be the fault of printing or due to......

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर पूर्व) : We saw the staff going for picnics these days. It was not over worked.

श्री दामोदरलाल व्यास : That may be your information. I was all along in the Select Committee and I know what labour they had to do.

Page No.38

श्री महेन्द्रसिंह पंवार: Hon'ble Deputy Speaker must have been present in that picnic. You can ask him.

श्री दामोदरलाल व्यास : Well, they have every right to go to picnics, that is not prohibited.

Another point Hon'ble Member from Phulera has pointed out that 'take cognizance of or' has been omitted. This is.......

श्री उपाध्यक्ष : I want to know whether these words were changed in the Select Committee or not ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Naturally, Sir, as I submitted yesterday while considering the Panchayat Samities and Zila-Parishads Bill, that the Select Committee does not only consider the report, but they also pass the Bill clause-by-clause and this is the thing which the Select Committee adopted. I have looked into the proceedings and minutes of the meetings, and these words have been omitted in the minutes and there is absolutely no omission on the part of the Secretariat.

श्री उपाध्यक्ष : The words 'inferior in rank' have been added, they are done by the Select Committee ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Certainly Sir, when the Select Committee took the Bill clause by clause, they re-drafted and the words are there on the minutes and you can kindly look into.

श्री उपाध्यक्ष : So the re-drafted clause was placed before the Members of the Select Committee ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Certainly. It was placed before them and passed by them.

श्री श्रीभानसिंह (बयाना) : There is no doubt about it, and the Minutes may be looked about it.

श्री दामोदरलाल व्यास : The Hon'ble Speaker may satisfy himself.

श्री श्रीभानसिंह : I want one explanation, Sir. Whether this recommendation was the first or the report was inserted afterwards or the...

श्री दामोदरलाल व्यास : I think you are aware of the fact that the Bill was passed in one day and one sitting. The Secretariat had to do a hard labour...

श्री श्रीभानसिंह : I am not at all concerned with this. Whether this was passed in one sitting and one day, I have no concern whether you have worked 100 hours nor I have any sympathies for that.

श्री दामोदरलाल व्यास : You try to hear me. How we passed it with in one sitting and we thought that it is an appropriate place of 6 after 7 and this was taken and it was re-drafted then and there...

श्री श्रीभानसिंह : Then why it was not included ? The clause has been changed, and why this has not been mentioned ?

श्री दामोदरलाल व्यास : You know the Committee considers the Bill clause by clause and it has a right to change the word. When the Select Committee considered this and the clause was concidered. The advisors who were sitting in the Select Committee. and as recommended it was passed. The Hon'ble Member may infer now...

श्री श्रीमानसिंह : The Hon'ble Members are not infering. When you are writing here that the Committee feel that the provisions regarding cognizance of offences should more appropriately come at a later stage in the Bill, this is clearly you have stated here. Now you have retained 8A. This clause emboying the provision contained in the original clause has been added. Now what it was not specifice to give it when writing. In both places you wrote. But at no place you have laid down that the Committee desires...

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्वमंत्री) : It was not necessary. Moreover the amendment was not specifically made. It was only verbal amendment. Therefore, it was not thought appropriate to incorporate in the Select Committee Report. It was in the amendment form. The First Class Magistrate shall take cognizance. We have put this Clause that no Magistrate below in rank to that of a Magistrate of the First Class shall try any offence punishable under this Act...

राजा श्रीमानसिंह (बैर) : Wherever any changes have been made they have given the words 'to give effect' but in this new clause 8 A the Committee is definitely not of the opinion of changing the clause 8A.

श्री दामोदर लाल व्यास : Shall I continue, Sir? As a matter of fact these were interruptions from the Hon'ble Members. They had their say, now let me finish my say.

श्री पी.के. चौधरी : How can these be interruptions ?

श्री उपाध्यक्ष : Order, Order, Mr. Chaudhery. You will see that the Chair is on its legs and I will request the Hon'ble Members that when the Hon'ble Revenue Minster has been requested to have his say, he may be allowed to conclude it and then if the Hon'ble Members have to say, I will hear them.

श्री दामोदरलाल व्यास : Another point which the Hon'ble Member from Bhim has raised is regarding certain omissions in the Bill in clauses 2 and 5. As such, the errata has already been circulated to the Hon'ble Members. These were only printing mistakes. In clause 2, read 'means' for 'members' and in clause 5 in the last line add the words 'which may extend to one thousend rupees' after the world 'fine'.

As the House will observe, the Select Committee had already said that we should have a provision for maximum punishment and fine in

Page No.40

(श्री दामोदरलाल व्यास)

the Bill, but accidentally it was omitted in the Bill, and this has been inserted by an errata and the Chair has also given a ruling that on such accidental omissions the Bill should not be postponed.

श्री पी.के. चौधरी : We would like to know whether this is an accidental omission or a printing mistake? In which class it comes?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : In clause 6 no amendment was made by the Select Committee, but in the Bill...

श्री दामोदरलाल व्यास : Please read the errata.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : That is for clause 6A.

श्री दामोदरलाल व्यास : 6A has been newly added, but there is no limit for fine fixed and it is not the mistake of anybody. The Select Committee did not fix any limit.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : How can we infer that the Select Committee did not make it when its says in the report:- "The Committee further feel that even if the duty is made obligatory, it will not be effectively performed unless a failure in this regard is penalised?

श्री दामोदरलाल व्यास : So it has been penalised. Don't you think that imprisonment of three months is sufficient penalty? Why do you think that only fine is a punishment? If the Select Committee did not fix any limit and the Hon'ble Members want to have a limit, then they can do so.

श्री भैरोंसिंह : I think the House will have to be associated with the minutes of Select Committee at all stages. The Hon'ble Minister says that the Select Committee said this, but it is not so in the report.

श्री दामोदरलाल व्यास : It is in the Bill. "6(2). Any such Sarpanch, Panch, Patwari or Lambardar failing to give the information required by sub-section (1) to communicate shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to three months, or with fine or with both." So far as fine is concerned, the Select Committee did not prescribe any limit to the extent to which fine could be imposed. If the Hon'ble Members want to prescribe a limit for fine, they can do so, but the Select Committee did not do it; and under the criminal Procedure Code, powers are vested in every Magistrate and the extent to which they can impose fine has also been prescribed therein.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : Point of order, Sir...

श्री पी० के० चौधरी : I think, Sir, that the proceedings of the Select Committee...

श्री उपाध्यक्ष : Mr. P. K. Chaudhary, there is a point of order as he said. Shri Bhairon Singh has raised a point of order.

Yes, Shri Bhairon Singh.

Page No.41

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : उपाध्यक्ष महोदय अभी माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने बताया कि जो रिपोर्ट और बिल यहां पेश किये गये हैं उनमें कुछ ऑमिशन्स रह गये हैं। उसके बारे में उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है वह तो हाउस की मर्जी की बात है कि उसे किस हद तक स्वीकार करे, लेकिन उन्होंने कुछ बातों को स्वीकार किया है और स्वीकार करते हुए बताया है कि सेक्रेटेरियेट में बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है इसलिए यह नेचुरल था कि इस प्रकार के ऑमिशन्स रह जावें। इसके संबंध में मैं यह निवेदन करूंगा कि हाउस में जो रिपोर्ट पेश की जाती है उसकी जिम्मेदारी सेक्रेटेरियेट की नहीं है बल्कि मिनिस्टर-इन्चार्ज की है। उसकी यह जिम्मेदारी है कि जो रिपोर्ट हो उसको अच्छी तरह से देखे...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, सेक्रेटेरियेट की क्या जिम्मेदारी है और दूसरों की क्या जिम्मेदारी है, यह प्रश्न हमारे सामने नहीं है। प्रश्न यह है कि आया इस बिल को कन्सीडरेशन पर रख सकते हैं या नहीं ?

श्री भैरोंसिंह : मैं इसी पॉइन्ट पर आ रहा हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : What is the point of order after all ? He must state it immediately.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन करूंगा कि यह रिपोर्ट राजस्व मंत्री ने गलत पेश की है और इस कारण वह कन्सीडरेशन पर नहीं आ सकता और मैं यह कहूंगा कि This is the point of order and I am going to explain how the Revenue Minister has made a default मैं यही अर्ज कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : It has already been emphasised by other Hon'ble members, that the report has certain omissions.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह निवेदन कर रहा हूँ कि जो भी ऑमिशन्स हैं उनके बारे में राजस्व मंत्री ने जिम्मेदारी नहीं ली है। It is on behalf of the Revenue Minister that the report has been submitted The report has not come from the Secretariat but from the Revenue Minister who was authorised by the Select Committee to present it. मैं यह अर्ज कर रहा हूं, इसमें यह लिखा है कि "I, the Chairman of the Select Committee, having been authorised in this behalf, do hereby present this their report with the Bill as amended by the Select Committee annexed thereto."

क्वश्चन यह आता है कि सलेक्ट कमेटी की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी रिपोर्ट के अनुसार बिल के अन्दर अमेन्डमेन्ट करे। यहां पर केवल सेक्रेटेरियेट की ही गलती मानी जाय ? मैं यह नहीं कहता कि इसमें प्रिन्टिंग मिस्टेक नहीं हुई होगी, उसके लिए मैं सफाई नहीं देता हूं लेकिन सलेक्ट कमेटी में रिकमन्डेशन आती है और उनके अनुसार बिल में अमेन्डमेन्ट्स किये जाते हैं और वह सलेक्ट कमेटी करती है उसकी जिम्मेदारी राजस्व मंत्री की है और यह वाजिब नहीं है कि सेक्रेटेरियेट पर ही यह जिम्मेदारी है। बिल में जब अमेन्डमेन्ट किये जाते हैं तो सलेक्ट कमेटी के सब मेम्बर्स उसको देखते हैं, उसके चेयरमैन उन पर हस्ताक्षर करते हैं और राजस्व मंत्री को ऐतराज है तो हाउस में पेश करे। यहां यह प्रश्न आता है कि

Page No.42

(श्री भैरोंसिंह)

दस्तखत किये थे तो कौन से बिल पर किये थे ? क्या अमेन्डेड बिल पर दस्तखत किये गये थे जो कि सलेक्ट कमेटी ने एप्रूव किया था ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रश्न हमारे सामने जैसा मैंने निवेदन किया... We are not going to fix this responsibility either on the Secretariat or on the Revenue Minister. That is not the question before us. We are dealing with the question whether omissions and discrepancies in the report as well as in the Bill are material ? This is the question and on this the House has to take a considered decision.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : Another point of order, Sir.

श्री भैरोंसिंह : I stand on a point of order, Sir.

श्री उपाध्यक्ष (श्री भैरोंसिंह से) : You will please resume your seat.

श्री पी० के० चौधरी : We should restore the confidence of the House and I suggest that the House may adjourn and the Select Committee may consider the Bill and report.

श्री भैरोंसिंह : मैं यह अर्ज कर रहा था कि अब इसका मतलब यह हुआ कि जब तक काउन्टर प्रूफ हाऊस के सामने न आवे सलेक्ट कमेटी का जो वर्णन है, जिस पर चेयरमैन ऑफ दी सलेक्ट कमेटी ने, राजस्व मंत्री ने, दस्तखत किये है उसके खिलाफ राजस्व मंत्री ने रिपोर्ट पेश की है यहां और उसके लिये कन्क्लूजन यह है कि सलेक्ट कमेटी ने जैसा कि बिल को अमेन्ड किया था, रेवेन्यू मिनिस्टर जो कि उसके चेयरमैन हैं उन्होंने वैसा अमेन्डमेन्ट बिल पेश नहीं किया जैसा कि उनको पेश करने के लिए सलेक्ट कमेटी ने अधिकार दिया था, उन्होंने वैसा बिल पेश नहीं किया है और यह चैयरमेन महोदय की गलती हुई है और हाऊस के कन्सीडरेशन के लिए जो बिल है, At this level I will raise a point of privilege. चेयरमैन महोदय ने गलती की है सेक्रेटेरियेट ने नहीं। अच्छा हो कि लीडर ऑफ दी हाउस की तरफ से प्रिविलेज मोशन लाया जाय बनिस्बत इसके कि मेम्बर्स की ओर से कोई मोशन आये। क्योंकि यह ब्रीच ऑफ प्रिविलेज रेवेन्यू मिनिस्टर ने किया है जो कि इस सलेक्ट कमेटी के चेयरमैन हैं।

श्री भोलानाथ (लक्ष्मणगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सवाल दूसरी बार यहां आया है।

एक माननीय सदस्य : तीसरी बार आया है।

श्री भोलानाथ : पिछली बार इसको रूल्स के माफिक मान लिया गया था कि उसके अनुसार कार्यवाही की जा रही है। लेकिन अब यह फिर आया है और यह एक हाऊस के प्रिविलेज का सवाल है। रिपोर्ट प्रोपर फॉर्म में हाऊस के सामने प्रजेन्ट होनी चाहिये। इसको चेयर खुद देखे। मैं ट्रेजरी बेन्चेज से भी निवेदन करूंगा कि गल्ती रह गई और उसको स्वीकार किया गया है कि वास्तव में इसको प्रोपर फॉर्म में पेश किया जाना चाहिये था। इसलिए यह प्रेस्टिज का

Page No.43

(श्री भोलानाथ)

स्वश्चन दोनों तरफ से नहीं होना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि आपको भी मेम्बर्स के प्रिविलेजेज को प्रोटेक्शन देना चाहिये। डॉक्युमेन्ट्स प्रोपर फॉर्म में आने चाहिये।

श्रीदामोदरलाल व्यास : यह सुझाव आपका मैंने सुन लिया। मैं अदब से निवेदन करूंगा कि जो गल्ती हुई है उसको ट्रेजरी बेन्चेज स्वीकार कर ले। आपने जिस तरह से इसको पुट किया है उस तरह से मैं इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह प्रिन्टिंग मिस्टेक है, यह रह गई थी। यह प्रिविलेज का मैटर है या नहीं, जैसा कि आपने इसको बनाया, मैं इस कन्ट्रोवर्सी में जाने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह गल्ती रेवेन्यू मिनिस्टर की हुई या सेक्रेटेरियेट की।

श्री भैरोंसिह : I don' wantt to enter into that controversy, because that controversy is harmful to you.

श्री महेन्द्रसिह पंवार (अजमेर-पूर्व) : But suppose if the house wants to go into that question, then ?

श्री दामोदरलाल व्यास : The house, if it wants to go into that question, can certainly go into it and I have absolutely no objection. But the house does not consist of one or two Members. It consists of 176 members.

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न मेरे सम्मुख रखा गया है ऑमिशन्स और डिस्क्रिपेन्सीज़ का मुझे इस सम्बन्ध में व्यवस्था देना है। मैंने सलेक्ट कमेटी के मिनिट्स को भी देखे हैं। और जो कन्टेन्शन्स माननी सदस्य, श्री लड्ढा ने क्लॉज ६ ए और ८ ए के सम्बन्ध में प्रस्तुत किये, उन पर भी विचार किया है, कि इन क्लॉजेज का मुकाबला करने पर कुछ ऑमिशन्स होना दृष्टिगत होता है। इस आधार पर इस स्थिति में इस बिल पर विचार, जब तक समुचित सुधार न हो, नहीं किये जाने की आपत्ती है। मिनिट्स सलेक्ट कमेटी के देखने के बाद मेरी यह धारणा है कि जो आपत्ति माननीय सदस्य ने उठाई है वह बहुत कुछ अंशों में निराधार प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त जहां तक क्लॉज ६ और क्लॉज ८ के ऑमिशन्स का सम्बन्ध है वे ऑमिशन्स मेटेरियल नहीं प्रतीत होते। इन दोनों क्लॉजेज को देखने के बाद यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि इनके इन्टरप्रिटेशन में कोई खास अर्थ में तब्दीली नहीं आती। मैंने जैसा निवेदन किया सलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने से मेरी इस व्यवस्था की पूर्ण रूप से पुष्टि होती है। इस सम्बन्ध में मैंने दो अवसरों पर अपनी व्यवस्था दी है जिसमें स्पष्टतया उल्लेख किया है कि ऐसे ऑमिशन्स कन्सीडरेशन के समय पर आपत्ति कोई प्रस्तुत नहीं करते और चूंकि हमको इस विधेयक के क्लॉज बाई क्लॉज पर विचार करना है अत: उस स्टेज पर इन ऑमिशन्स, या कॉन्ट्राडिक्शन्स को उस वक्त हटा दिया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में मैं इस प्रश्न पर यह व्यवस्था देता हूँ कि हाऊस इस विधेयक पर विचार करे और जो आपत्तियां उठाई गई हैं वे विधेयक पर विचार करने में बाधा पहुँचाने वाली नहीं हैं।

Yes, Hon'ble Minister to continue.

Page No.44

श्री श्री भानसिंह (बयाना) : Sir, I have nothing to challenge your observation. But may I just submit that then at this stage there is also no need of issuing an errata to the Hon'ble Members. That could also be issued at the time we consider, the Bill clause by clause. It should not be issued at this stage.

श्री उपाध्यक्ष : जैसा मैंने निवेदन किया इस सम्बन्ध में मैंने व्यवस्था दे दी है। इरेटा का जहां तक सम्बन्ध है वह मेम्बर्स को सहूलियत प्रदान करने के लिए ही सकु'लेट किया गया था। यह आवश्यक भी है। इस स्थिति को जो हो गई उसको देखते हुए यह किया गया।

श्री श्रीभानसिंह : मैं आपकी व्यवस्था को चेलेन्ज नहीं कर रहा हूँ। इरेटा की सप्लाई वहीं हो सकती है जहां कि यह करेक्ट है। वह तो उसी वक्त हो सकती थी।

It couled be issued at the time when the Bill was taken up clause by clause.

श्री उपाध्यक्ष : Yes, Hon'ble Minister.

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : I want to have a ruling on this, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : What point ?

श्री भैरोंसिंह : Whether this errata should be taken to be a part of the report or not ?

श्री उपाध्यक्ष : It is just to help the report.

श्री भैरोंसिंह : In what way ?

श्री उपाध्यक्ष : Just to clarify certain omissions and discrepancies.

(१. ०. म. प.)

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कवश्चन यह है कि इरेटा अगर इसका पार्ट है तो हम इसको पार्ट की हैसियत से विचार कर सकते हैं और फिर इरेटा में अमेन्डमेन्ट देना पड़ेगा। इसलिए मेरा यह निवेदन है कि इसको पहले स्पष्ट किया जाय कि इरेटा जो आया है वह इस रिपोर्ट का पार्ट है या नहीं ? इसके बाद हम इस पर विचार कर सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Well the errata is an errata of the Report and I may say that it, is attached to this report...

श्री भैरोंसिंह (श्री माधोपुर) : I raise a point of Order, Sir. It is attached to the Report. अगर इसको रिपोर्ट का हिस्सा मानते हैं तो यह तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि मिनिस्टर इन्चार्ज इसको प्रस्तुत नहीं करते।

श्री उपाध्यक्ष : This point I have already decided in my previous Rulings.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री): ओरीजिनल बिल जो सदन में पेश किया गया है।

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : (अजमेर-पूर्व) Mr. Depty Speeker, Sir, I raise a Point of Order, Sir, that this...

Page No.45

श्री सोहनलाल भटनागर (सलुम्बर) : Sir, He cannot put any Point of Order in vaccume.

श्री महेन्द्रसिंह पंवार (अजमेर-पूर्व) : Listen to me first. I raise a Point of Order that this House cannot take this Bill in to consideration since it is beyond the powers of Legislature.

इस सदन की कानून बनाने की क्षमता से यह बाहर है जिस पर कि आप कानून बनाने जा रहे हैं।

श्रीमान्, विधान सभा को जो कानून बनाने का अधिकार दिया गया है वह हमारे संविधान में दो जगह निर्धारित है। एक तो संविधान के ७वें शिड्युल में स्टेट लिस्ट दी हुई है। स्टेट लिस्ट के अन्दर ६६ आँकड़े हैं उन ६६ आँकड़ों को ध्यान से देखा जाय तो इसका उल्लेख कहीं पर भी नहीं है

श्री उपाध्यक्ष : Which item... ?

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : जो ६६ आँकड़े उसमें हैं उनमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि हम इस प्रकार का कानून बना सकते हैं। उसमें हैं :

1. Criminal Law.
2. Criminal Procedure,
3. Preventive Detention...
4. Removal from one State to another...
5. Marriage and Divorce.
6. Transfer of Property.
7. Contracts,
8. Actionable Wrongs.

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री): If you look to item no. 20 of the Concurrent List, you will find there 'Economic and Social Planning'...

श्री महेन्द्रसिंह पंवार : आइटम ट्वन्टी है उसमें इकॉनोमिक और सोशियल प्लानिंग है। यह एक्ट प्लानिंग के दायरे में नहीं आता। It comes under Planning ? Much better if you could have referred to item 5. Item No. 20 is absolutely irrelevant.

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : On a Point of Information, Sir. All the Government offices have been closed down. Something extraordinary has happend and so the House would like to know whether something extraordinary has happened.

१.५ म० प०

श्री फजलअली की मृत्यु पर श्रद्धांजलि

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अभी दो मिनट पहले एक खेदजनक सूचना मिली है जिसको मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना मुनासिब समझता हूं। वह यह है कि आसाम के गवर्नर श्री फजलअली का आज प्रातःकाल देहान्त हो गया है। सर फजलअली इस समय आसाम के गवर्नर थे। वे कुछ महिनों से बीमार चले आ रहे थे। उसी बीमारी में उनका आज सुबह शरीरान्त हो गया। सर फजलअली को देश के सारे व्यक्ति जानते हैं कि वे कितने राष्ट्रीय विचारधारा के थे। गवर्नर होने से पहले वे स्टेट्स रिऑर्गेनाईजेशन कमीशन के अध्यक्ष भी थे। हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं। उनकी जो विचार धारा

(श्री रामकिशोर व्यास)

रही उससे देश भली भांति परिचित है। वे भारत के विशिष्ट पुरुषों में से थे। उनकी देश के प्रति बड़ी सेवायें रही हैं। उनकी मृत्यु से देश को बड़ी क्षति पहुँची है मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि मृत आत्मा के प्रति सदन श्रद्धांजलि अर्पित करे और दो मिनट तक मौन रहे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी यह निवेदन करूंगा कि दो मिनट की श्रद्धांजलि के पश्चात् सदन की बैठक स्थगित कर दी जाय।

(सदन द्वारा सर फजल अली की मृतात्मा के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दो मिनट तक मौन)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक २४ अगस्त, १६५६ के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदुपरान्त सदन की कार्यवाही सोमवार,

दिनांक २४ अगस्त, १६५६ के ११ म० पू० तक के लिए स्थगित की गई)

———

Page No.47

संक्षिप्त-विवरण

(शनिवार २२ अगस्त, ५६)

स्कम्भ स्कम्भ

तारांकित प्रश्नोत्तर १८८४

बीकानेर स्टेशन के पास वाले नाले को पक्का अन्डर ग्राउन्ड बनवाने की व्यवस्था।

लालसोट व बस्सी में जमीन पर अनधिकृत अधिकार।

जिला जालोर में अफीम खाने वालों को राशन कार्ड।

नगरपालिका, चित्तौड़ द्वारा भूमि वितरण।

तहसील पंचायत सांचोर के भवन का निर्माण।

बन्दोबस्त विभाग, सीकर।

रूरल एरिया में पीने के पानी की कमी की जाँच करने हेतु नियुक्त कमेटी।

जिला झुन्झुनू की निष्क्रमणार्थ भूमि।

उदयपुर के हरिजन-विद्यार्थियों को दी गई छात्रवृत्तियां।

भरतपुर में पीने के पानी का अभाव।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में सरकारी रकम व बीघोटी की वसूली का रोका जाना।

औद्योगिक न्यायाधिकरण को सौंपे गए मजदूरों के मामले।

भूमि वितरण कमेटी, तहसील भदेसर (चित्तौड़) द्वारा भूमि का वितरण।

अध्यक्ष नगरपालिका डूंगरगढ़ द्वारा नगरपालिका की पूंजी से किया गया सीमेंट का निजी व्यापार।

सरकार द्वारा नियन्त्रित मंदिरों की व्यवस्था व सामान की तालिकायें बनाया जाना।

हॉस्पिटल, पाली।

नगरपालिकाओं को भूमि विक्रय संबंधी अधिकार।

अफीम-बन्दी के बाद पाली तहसील में अफीम खरीदने के परमिटों का वितरण।

पेन्शन के लिए निर्धारित आयु-संबंधी सीमा में वृद्धि।

आयुर्वेद विभाग द्वारा संचालित परीक्षायें।

राजकीय मर्दाना अस्पताल, सिरोही।

सरकारी कर्मचारी बीमा योजना।

ग्राम राजपुर, तहसील शाहबाद (कोटा) में पानी का अभाव।

पंचायतों को गोचर भूमि नीलाम करने की संबंधी अधिकार।

पाबूबारी, बीकानेर के पास रहने वाले मेघवालों के मकानों के स्थायी पट्टे।

जन-स्वास्थ्य विभाग, खेतड़ी के कर्मचारियों का फिक्सेशन।

म्यूनिसिपल बोर्ड, भरतपुर की सदस्यों में बकाया रकमें।

राजस्थान मृत्यु भोज निवारण विधेयक, १६५६ १६४६

श्री दामोदरलाल व्यास, राजस्व मंत्री ने प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान मृत्युभोज निवारण विधेयक, १६५६ को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिस पर वाद-विवाद हो रहा था कि इस बीच में श्री रामकिशोर व्यास, गृहमंत्री, ने सदन को आसाम के राज्यपाल श्री सैयद फजलअली के निधन की सूचना दी, जिसके कारण विधेयक पर विचार स्थगित रहा।

शोक प्रकट १६७३

गृह मंत्री द्वारा उपरोक्त सूचना देने पर सदस्यों ने दो मिनट खड़े होकर स्वर्गीय श्री फजल अली को श्रद्धांजलि अर्पित की एवं उनके सम्मान में मध्याह्नोत्तर १ बज कर ७ मिनिट पर सदन की कार्यवाही सोमवार दिनांक २४ अगस्त, १६५६ को प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई।

सोमवार, दिनांक २४ अगस्त, ५६ की कार्य सूची

राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् विधेयक, १६५६

परिशिष्ट १

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६६ का उत्तर देखिए]

लालसोट टाउन में सरकारी जमीनों पर अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्तियों की सूची।

क्र०सं०	अनधिकृत रूप से कब्जा करने वाले व्यक्ति का नाम	नगरपालिका द्वारा की गई कार्यवाही
१	श्री कस्तूरचन्द कजोडमल बैनाड़ा	बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।
२	श्री गेंदालाल जगन्नाथ खाती	तहसील. लालसोट में कार्यवाही जारी है।
३	श्री किशना वल्द ऊधा खटीक	दफा १३० आर. टी. एम. एक्ट के अन्तर्गत चालान किये जा रहे हैं।
४	श्री छाजू वल्द कल्याण खटीक	बेदखली की कार्यवाही की जा रही है।
५	श्री भोग्या व कल्याण खटीक	,, ,,
६	श्री मोथा प्रताप व कल्याण खटीक	,, ,,
७	श्री धन्ना व परमात्मा खटीक	,, ,,
८	नैना वल्द श्री रामपाल खटीक	,, ,,
९	श्री गोपी व गंगल्या खटीक	,, ,,
१०	श्री कान्या व रामपाल खटीक	,, ,,
११	श्री कन्हैयालाल व स्यौजी खटीक	,, ,,
१२	श्री घासी वल्द रामदेव खटीक	,, ,,
१३	श्री सैडा बद्री छीतर खटीक	,, ,,
१४	श्री रामदेवा व कल्लू खटीक	,, ,,
१५	श्री बद्रीनारायण रामजीलाल चरावना वाला	,, ,,
१६	श्री गोकुल सिंह कलाल	,, ,,
१७	श्री कासमअली व लल्लूअली	,, ,,
१८	श्री गट्टू व इन्द्रा खाती	,, ,,

———

परिशिष्ट २

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २६८ का उत्तर देखिये]

सूची जमीन बिक्री ३१-१-५८ से २८ फरवरी सन् १९५९ तक

नं०शु०	नाम	तारीख	रेट	मु० गज	रकम रु० न. पै.
१.	श्री डूंगरलाल पालीवाल	१३-२-५५	४ रु०	६	२४-००
२.	,, नन्दलाल शर्मा	२२-२-५८	४ आना	५९२	१४८-००
३.	,, अभयसिंह मेहता	२५-२-५८	१ ,,	१२००	७५-००
४.	,, कन्हैयालाल नारायणलाल	३-३-५८	१ ,,	६००	३७-५०
५.	,, सत्यनारायणसिंह	३-३-५८	१ ,,	६००	३७-५०
६.	,, किशनलाल हरलाल	१४-३-५८	१ ,,	६००	३७-५०
७.	,, विश्वकुमार मांगीलाल	१७-३-५८	१ ,,	५९२	३७-००
८.	,, मांगीलाल नारायण	१७-३-५८	१ ,,	६००	३७-५०
९.	,, रामचन्द्र हजारी	१७-३-५८	४ ,,	६००	१५०-००
१०.	,, मांगीलाल नारायण	१७-३-५८	१ ,,	६००	३७-५०
११,	,, श्रीनिवास गणेशलाल	३१-३-५८	१ रु० २ह०	२५८४	२५८४-००
१२.	,, जयसिंह पृथ्वीसिंह	७-५-५८	१ आना	११९२	७४-५०
१३,	,, चतरलाल कन्हैयालाल	७-५-५८	१ ,,	६००	३७-५०
१४.	,, प्यारेलाल जगन्नाथ	८-५-५८	१ ,,	६००	३७-५०
१५.	,, माणकलाल सिंघवी	१२-५-५८	१ ,,	६००	३७-५०
१६.	,, मालीराम चतुरभुज	१४-५-५८	१ ,,	६००	३७-५०
१७,	,, रामनाथ शंकरलाल	२३-६-५८	१ ,,	६००	३७-५०
१८.	,, बालकिशन ओंकारलाल	१५-७-५८	४ रुपया	३४	१३६-००

१	२	३	४	५	६
१६.	श्री शंकरलाल रामलाल	२८-८-५८	४ रुपया	२१	८४.००
२०.	,, मूलचन्द गणेशलाल	३-६-५८	५ आना	१४०६	४३६.३७
२१.	,, नाथूलाल चौपड़	४-६-५८	५ ,,	२८१२	८७८.७५
२२.	,, रामकिशन देवीचन्द	४-६-५८	५ ,,	७३३॥	२२६.५६
२३.	,, भंवरलाल कुमावत	४-६-५८	५ ,,	१४०६	४३६.३७
२४.	,, भीसूलाल बागल	४-६-५८	५ ,,	१४०६	४३६.३७
२५.	,, नाथूलाल भांभरा	४-६-५८	५ ,,	१४०६	४३६.३७
२६.	,, दौलतराम मडंगया	४-६-५८	५ ,,	१४०६	४३६.३७
२७.	,, मांगीलाल दर्जी	४-६-५८	५ ,,	१०७०॥	४३४.५६
२८.	,, मदनलाल कालूलाल	४-६-५८	५ ,,	१४०६	४३६.३७
२६.	,, जमशेद पालनजी	५-६-५८	३ रुपया	२१७॥	६५२.५०
३०.	,, लछमा रामा	२४-६-५८	२ आना	१०८।	१३.५०
३१.	,, गुलाब हीरा	२४-६-५८	५ ,,	१६५४	५१६.८७
३२.	,, रामचन्द्र प्यारचन्द्र	२४-६-५८	५ ,,	२६५६	६१२.२५
३३.	,, भवानीराम हजारी	२६-६-५८	५ ,,	१८७५	५८५.६४
३४.	,, जैराम काल्	६-१०-५८	१॥ ,,	८३॥	७.८१
३५.	,, समस्त ओसवाल	७-१०-५८	१॥ ,,	२१२	२१.७६
३६.	,, मोतीलाल चंडक	,,	१, ,,	६००	३७.५०
३७.	,, कनकमल मिश्रीलाल	,,	५. ,,	१४६७	४३०.२०
३८.	,, इस्माइल अब्दुलकादर	२७-१०-५८	४, रुपया	२५७॥।	६६६.००

१	२	३	४	५	६
३६. श्री हरचन्द कालूराम	३-११-५८	२, आना	१४६॥	२८.३१
४०. ,, रुघनाथ गोपाल	,,	२, ,,	७६८	६६.००
४१. ,, रामसहाय पन्ना	,,	२, ,,	७६॥	६४.२३
४२. ,, रुघनाथ गोपाल	,,	२, ,,	६२२	७७.७५
४३. ,, रामसहाय पन्ना	,,	२, ,,	५१७॥	८३.५०
४४. ,, मांगीलाल डाकरी	,,	२, ,,	५२७	६५.८७
४५. ,, लक्ष्मण नाना	६-११-५८	२, ,,	६७६॥	६७.४४
४६. ,, मांगू गंगाराम	,,	२, ,,	१०४२	१३०.३१
४७. ,, भूला गोपाल	,,	२, ,,	६३७	६६.७४
४८. ,, ओंकार भीमा	१८-११-५८	२, ,,	६६६	८३.७६
४६. ,, मोतीराम चतुरभुज	१५-११-५८	४, ,,	६००	१५०.००
५०. ,, शंकरलाल छोगालाल	२७-११-५८	४, ,,	६००	१५०.००
५१. ,, रामकुमार नम्दबाना	,,	४, ,,	१२००	३००.००
५२. ,, ओमप्रकाश भट्ट	,,	४, ,,	६००	१५०.००
५३. ,, छोटू नानू	२-१२-५८	४, ,,	६००	१५०.००
५४. ,, विट्ठलप्रशाद हरिशंकर	,,	४, ,,	६००	१५०.००
५५. ,, चिरंजीलाल सूवालका	१८-१२-५८	६, ,,	११६२	४४७.००
५६. ,, रामचन्द्र बंशीलाल	,,	१॥, ,,	१६६	१७.७५
५७. ,, चोथमल गोरधन	२-१-५६	२, ,,	१४२॥	२६७.०८
५८. ,, पन्ना गंगाराम	,,	२, ,,	१०७०	१३३.४४
५६. ,, वीरबन्धु ट्रेडर्स	५-१-५६	२, ,,	३१२५	२६०.००
६०. ,, उज्ज्वलाल शम्भूदयाल	,,	१,रु० २,रु०	८५॥	१२३.५०

Page No.53

१	२	३	४	५	६
६१.	श्री गरणपतलाल माथुर	८-१-५६	६, आना	१२००	४५०.००
६२.	,, किशनलाल रतनलाल	६-१-५६	६, ,,	१२००	४५०.००
६३.	,, रामचन्द्र व्यास	१०-१-५६	४, ,,	६००	१५०.००
६४.	,, पुरुषोत्तमलाल मियांचन्द	१३-१-५६	६, ,,	१२००	४५०.००
६५.	,, चौथमल गोरधन	१६-१-५६	२, ,,	७३१॥।=	६१.४७
६६.	,, सूरसागर विजयसागर	१८-२-५६	४, ,,	६००	१५०.००
६७.	,, मोहम्मद हमीम	२०-२-५६	२, ,,	६००	७५.००
६८.	,, मगनीराम बाकड़	,,	४, ,,	४॥	१८.००
६९.	,, हेमशंकर नागर	२४-२-५६	६, ,,	१२००	४५०.००
७०.	,, मनोहरसिंह गोपालसिंह	,,	६, ,,	१२००	४५०.००
७१.	श्री कर्णसिंह भारतसिंह	२४-२-५६	६ आना	१२००	४५०.००
७२.	,, कनकमल मिश्रीलाल	,,	६ ,,	१२००	४५०.००
७३.	,, मदनसिंह धनराय	,,	२ ,,	५६२	७४.००
७४.	,, भंवरलाल गर्ग	,,	२ ,,	६००	७५.००
७५.	,, रघुनन्दनप्रसाद	,,	२ ,,	२५००	३१२.००
७६.	,, ज्ञानचन्द उदयलाल	,,	२ ,,	६००	७५.००
७७.	,, कन्हैयालाल नारायण	,,	२ ,,	६००	७५.००
७८.	,, अब्दुलअजीज मोहम्मद यूसुफ	,,	२ ,,	६००	७५.००
७९.	,, अहसान हबीब	,,	२ ,,	६००	७५.००
८०.	,, सत्यनारायणसिंह रामनारायणसिंह	,,	२ ,,	६००	७५.००
८१.	,, मथुराप्रसाद डूंगरदास	,,	२ ,,	५६२	७१.००

१	२	३	४	५	६
८२.	श्री कुन्दनलाल रतनलाल	२४-२-५६	४ आना	६००	१५०.००
८३.	,, मिट्ठूलाल व्यास	,,	२ ,,	६००	७५.००
८४.	,, रामचन्द्र प्रभुलाल	,,	४ ,,	१२००	३००.००
८५.	,, मांगीलाल नारायण	,,	६ ,,	२३८४	८९४.००
८६.	,, नन्दकिशोर सूरजमल	,,	१ ,,	६००	३७.००
८७.	,, पृथ्वीसिंह मेहता	,,	६ ,,	१२००	४५०.००
८८.	,, सुभाषचन्द्र	,,	६ ,,	११९२	४४७.००
८९.	,, शान्तिचन्द्र मेहता	,,	६ ,,	१२००	४५०.००
९०.	,, हरिसिंह लक्ष्मीलाल	,,	६ ,,	१२००	४५०.००
९१	,, नसीरमोहम्मद सुमानखाँ	,,	६ ,,	११९२	४४७.००
९२,	,, सिकन्दरखां करीमखां	,,	२ ,,	१२००	१५०.००
९३,	,, बालचन्द बनेचन्द	,,	६ ,,	१२००	४५०.००
९४.	,, पराक्रमसिंह चान्दसिंह	,,	२ ,,	६००	७५.००
९५.	,, चूनीलाल रामनारायण	,,	६ ,,	१२००	४५०.००
९६.	,, अब्दुलरहमान इब्राहीम	,,	२ ,,	६००	७५.००
९७.	,, भंवरलाल मेघराज	,,	६ ,,	१२००	४५०.००
९८.	,, मदनलाल रामसुख	,,	६ ,,	५९२	७४.००
९९.	,, मोहनलाल खाजूलाल	,,	६ ,,	१२००	४५०.००
१००.	,, परमानन्द पुरोहित	,,	२ ,,	१२००	१५०.००
१०१.	,, अमरसिंह भंवरलाल	,,	६ ,,	११९२	४४७.००
१०२.	,, लक्ष्मीनारायण शर्मा	,,	२ ,,	६००	७५.००

Page No.55

१	२	३	४	५	६
१०३.	श्री सन्तोकलाल झमकूलाल	२४–२–५६	६ आना	१२००	४५०.००
१०४.	,, रमेशचन्द्र टांडी	,,	२ ,,	१२००	१५०.००
१०५.	,, कन्हैयालाल मांगीलाल	,,	६ ,,	१२००	४५०.००
१०६.	,, नन्दलाल मेहता	,,	६ ,,	१२००	४५०.००
१०७.	,, नन्दलाल ख्यालीलाल	,,	६ ,,	११६२	४४७.००
१०८.	,, नम्नेखां बसीरखां	,,	२ ,,	६००	७५.००
१०९.	,, विद्यादेवी छगनलाल	२५–२–५६	४ ,,	६००	१५०.००
११०.	,, नाथूलाल चौपड़	,,	१॥ ,,	४०४॥	३७.८७
१११.	,, वन्शीलाल मालीलाल	,,	५ ,,	१४०६	४३६.३०
११२.	,, नन्दलाल जोधराम	२६–२–५६	० ,,	४८००	१०१.००
११३.	,, मोहनलाल झमकूलाल	,,	४ रु.	३१	१२४.००
११४.	,, सोहनलाल	,,	६ आ०	१२००	४५०.००
११५.	,, बनेचन्द जवाहरलाल	,,	८ ,,	१२००	६००.००
११६.	,, मिठूलाल व्यास	,,	६ ,,	१२००	४५०.००
११७,	,, समस्त पंच ओसवाल	,,	१॥ ,,	३०१४	२८२.५६
११८.	,, मुकन्दसिंह संग्रामसिंह	,,	६ ,,	१२००	४५०.००
११९.	,, भंवरलाल पोखरना	,,	४ रु.,,	४१॥	१६६.२५
१२०.	,, जानकीलाल अग्रवाल	,,	६ आना	११६२	४४७.००
१२१.	,, लालचन्द ताराचन्द	२७–२–५६	१॥ ,,	१७१।	१६.०६
१२२.	,, लालचन्द ताराचन्द	,,	१॥ ,,	६४॥	४.४४
१२३.	,, मनोहरसिंह मूलचन्द	,,	२ ,,	६००	७५.००

Page No.56

१	२	३	४	५	६
१२४.	श्री समस्त पंच ओसवाल	२७-२-५६	१॥ आना	२२८	२१.४४
१२५.	,, समस्त पंच ओसवाल	,,	१॥ ,,	५८ ॥	५.५०
१२६.	,, रामचन्द्र भूरालाल	२८-२-५६	१॥ ,,	२८८ ॥	२७.६५
१२७.	,, मूलचन्द मनोहरलाल	,,	१॥ ,,	२७० ॥	१०.६६
१२८.	,, मांगीलाल सोहनलाल	,,	१॥ ,,	७५	७.०४
१२९.	,, मांगीलाल सोहनलाल	,,	१॥ ,,	२४७॥	२३.१६
१३०.	,, सोभालाल प्यारचन्द	,,	१॥ ,,	१४६	१३.७६
१३१.	,, वी० एन० त्रिवेदी	,,	२ ,,	६००	७५.००
१३२.	,, रामचन्द्र मालीलाल	,,	१॥ ,,	१०४॥।	६.८३
१३३.	,, अब्दुलरहमान भूरेखां	,,	६ ,,	११६२	४४७.००
१३४.	,, नाथूलाल मोहनलाल	,,	१॥ ,,	५५॥	५.१६
१३५.	,, नाथूलाल मोहनलाल	,,	१॥ ,,	५३	५.००
१३६.	,, नाथूलाल मोहनलाल	,,	१॥ ,,	५८	५.४४
१३७.	,, नारायण लोमा	,,	२ ,,	४५६	५८.१२
१३८.	,, प्यारचन्द मोतीलाल	,,	१॥ ,,	३२३	३०.२८
१३९.	,, शंकरनाथ जीवानाथ	,,	१॥ ,,	२१७॥	१४.०७
१४०.	,, बंशीलाल भूरालाल	,,	१॥ ,,	२१६	२०.२५
१४१.	,, मोतीलाल पालीवाल	,,	१ ,,	१०५०	१३१.२५
१४२.	,, भंवरलाल किशनलाल	,,	२ ,,	४४५	६८.१२

१	२	३	४	५	६
१४३.	श्री झोगालाल लक्ष्मीलाल	२८–२–५६	२ आना	२०५०	२५६.२५
१४४.	,, मूलचन्द कालू	,,	२ ,,	२५००	३१२.५०
१४५.	,, बन्शीलाल हेमराज	,,	२ ,,	२५००	३१२.५०
१४६.	,, मोहनलाल उदयसिंह	,,	६ ,,	१२००	४५०.००

———

परिशिष्ट ३

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २४२ का उत्तर देखिये]

LIST SHOWING THE NAMES OF OPIUM ADDITS OF PALI TEHSIL. FOR THE YEAR 1959-60.

S. N.	Name perantage and residence	Age
1.	Chimna S/o Bala of Bhanvri (Undra)	55
2.	Bisvia S/o Bhecka of Undra (Bhanvri)	60
3.	Bheeka S/o Narsingh of Undra (Bhanvri)	—
4.	Bheeka S/o Khemmaji Korna	50
5.	Raichand S/o Jawan Mal of Korna	48
6.	Chamna S/o Moola of Lambiya	40
7.	Gheesa S/o Suja of Limbiya	50
8.	Chatarsingh S/o Kolsingh of Dudiya	62
9.	Rama S/o Lada of Nandli	57
10.	Bhana S/o Peeruji of Baldoki Dhani	60
11.	Kishna S/o Bheru ,,	50
12.	Bhoora S/o Jassa ,,	45
13.	Fozaram S/o Wagaji of Rana	45
14.	Mukuoss S/o Gomaji of Khardaki Dhani	50
15.	Bhoma S/o Saroopji of ,,	50
16.	Chena S/o Chatra of ,,	54
17.	Jawan S/o Raoji ,,	70
18.	Achala S/o Chela ,,	70
19.	Gula S/o Jawan ,,	62

[redacted]

1	2	3
20.	Umaid Singh S/o Pratap Singh of Korna	49
21.	Umaid Ram S/o Salig Ram of Korna	55
22.	Rama S/o Vanaji of Korna	
23.	Raghu Nath S/o Salig Ram of Korna	
24.	Bheru Singh S/o Roop Singh of Korna	
25.	Chimna S/o Saroopji of Korna	
26.	Mohan Lal S/o Jaggan Nath of Gundoj	
27.	Shiva S/o Raming of Seda	
28.	Hansi W/o Bheraji of Vayad	
29.	Nain Singh S/o Laxman Singh of Wayad	
30.	Rama S/o Rana of Wayad	
31.	Bhaboot S/o Karna of Wayad	
32.	Dewaji S/o Rama of Wayad	
33.	Beek Singh S/o Son Singh of Wayad	
34.	Mangal Singh S/o Akhey Singh of Gigola	
35.	Badar Singh S/o Achal Singh of Wayad	
36.	Ade S/o Jethaji of Chenda	
37.	Chenio S/o Pannia of Senda	
38.	Ugam Singh S/o Pratap Singh of Chenda	
39.	Sanwal Chand S/o Kistoor Chand of Chenda	
40.	Daliya S/o Nono of Panchpadariya	
41.	Magniya S/o Modaji of Bhiwara	
42.	Veno S/o Magga Bharti of Senda	
43.	Dhanna S/o Jetha of Chenda	

[redacted]

1	2	3
44.	Sona Ram S/o Roopa of Chenda	
45,	Shvua S/o Nawa of Senda	
46.	Kundan S/o Girwer Dan of Bassi	
47.	Moda S/o Kheemo of Binja	
48.	Shiv Lal S/o Hansaji of Binja	
49.	Ganga Ram S/o Khetaji of Binja	
50,	Lakhma S/o Bhoora of Godwara	
51.	Girdhari S/o Sheo Lal of Godwara	
52.	Uda S/o Raghu Nath of Godwara	
53.	Poona S/o Jetha of Godwara	
54.	Shiviji S/o Pema Danlaria (Jaitpur)	
55.	Dewa S/o Pema ,,	
56.	Daga S/o Saroop	
57.	Mohabbat Singh S/o Than Singh of Jetpur	
58.	Shiv Nath Singh S/o Mohabat Singh of Jetpur	
59.	Bulab Dass S/o Mool Das of Jetpur	
60.	Hema S/o Bheeka of Jaipur	
61.	Kaniya W/o Jasraj of Pali	
62.	Saroop Chand S/o Moti Lal of Pali	
63.	Kishore Singh S/o Mangal Singh of Jaitaran	
64.	Gaifar S/o Sambhal of Wayad	
65.	Mod Singh S/o Ranjeet Singh of Dari	
66.	Kishan Singh S/o Saroop Singh of Dari	

1	2	3
67.	Shanbhoo Giri S/o Pratap Giri of Guda-Pratap Singh	
68.	Ladu Ram S/o Dhula Ram of Tigra	
69.	Basti Ram S/o Lal Dass of Tigra	
70.	Lacha S/o Bhola of Dudli	
71.	Pyari W/o Hasti Mal of Rohat	
72.	Sukha S/o Magna of Chotila	
73.	Jog Singh S/o Sawai Singh Chotila	
74.	Peera S/o Lalo of Rohat	
75.	Rawat S/o Magnaji of Rohat	
76.	Sardar S/o Sagramji of Dudli	
77.	Sawai Singh S/o Abhey Singh of Chotila	
78.	Romo S/o Genaram of Tigra	
79.	Jagdeesh S/o Nemi Ram Tigra	
80.	Son Dan S/o Sakti Dan of Danasni	
81.	Jetha S/o Moola of Tigra	
82,	Lalo S/o Prabhu of ,,	
83.	Heera S/o Dhoola of Chotila	
84.	Binja S/o Shoora of Dudli	
85.	Phoosa Ram S/o Nawla of Dudli	
86.	Pukh Raj S/o Salig Ram of Rohat	
87.	Pokar S/o Lala of Dudli	
88.	Jug Raj S/o Dhool Chand Rohat	
89.	Hukma S/o Bhabaot of Rohat	

1	2	3
90.	Bhakar S/o Soora of Dudli	
91.	Anchi W/o Hutmaji of Rohat	
92.	Doonga S/o Saligji of Danasni	
93.	Roopa Ram S/o Rug Nathji of Rohat	
94.	Ada S/o Rawat of Dudli	
95.	Rama S/o Shera of Danasni	
96.	Pusa Ram S/o Zala of Dudli	
97.	Kandass Singh S/o Viram Dass of Rohat	
98.	Hari Singh S/o Bhoor Singh Moriya	
99.	Bishan Singh S/o Sardar Singh Chotila	
100.	Lachha S/o Bhoboot Singh Dudli	
101.	Haring S/o Peera of Dudli	
102.	Isar Dan S/o Ghewar Dan of Danasni	
103.	Ladu Singh S/o Chimna Singh of Chotlia	
104.	Hasti Mal S/o Kishan Mal of Rohat	
105.	Mukan Mal S/o Multan Mal of Rohat	
106.	Tulsa Ram S/o Dewa of Rohat	
107.	Vena S/o Jeewa of Dudli	
108.	Akha S/o Bhagga of Modawas	
109.	Mathura Lal S/o Motiji of Osiyan	
110.	Sawai singh S/o Bir Singh of Kharda ka jod	

1	2	3
111.	Chhagni Ram S/o Kola Ram of Sardar Samand	
112.	Pana S/o Dewraj of Dudli	
113.	Ganesh Ram S/o Sondan of Godwara at present Pali	
114.	Tulsa S/o Chena of Sowaniya	
115.	Nathu Singh S/o Tej Singh Sowaniya	
116.	Kan Singh S/o Mool Chand of Sowaniya	
117.	Veniy S/o Samratha of Padayla	
118.	Dheeraji S/o Phoolaji of Pali	
119.	Udai Singh S/o Badar Singh of Madli	
120	Kalyan Singh S/o Rawat Singh of Rohat	
121.	Hem Singh S/o Lachhi Ram of Panayla	
122.	Kesav Singh S/o Ajit Singh of Pali	
123.	Vachamo S/o Haluji of Pali	
124.	Harji S/o Natha of Pali	
125.	Bhola S/o Umaji of Rawalwas	
126.	Umeda S/o Kheemo of Budwara	
127.	Girdhari S/o Dhoolaji Budwara	
128.	Bhan Singh S/o Prem Singh of Rawalwas	
129.	Lal Singh S/o Sheonath Singh ,,	
130.	Rughnath Singh S/o Sheo Nath Singh	
131.	Chheglo S/o Pabudanji of Khundav	
132.	Chimna S/o Pemaji of Gundoj	
133.	Rahim Khan S/o Alimd Khan of Pali	
134,	Sheo Nath S/o Bhola Panchpadariya	

Page No.64

1	2	3
135.	Meda Ram S/o Phusa Ram	Panchpadariya
136.	Roopa Ram S/o Bhana Ram	,,
137.	Lala Ram S/o Sumer	,,
138.	Mangal Singh S/o Surat Singh	
139.	Zor Singh S/o Raj Singh of Digai	
140.	Hem Singh S/o Sakti Dan of	Giradra
141.	Neno S/o Ramoji of	,,
142.	Chatarn Dass S/o Achal Dass	,,
143.	Bhopal Singh S/o Bhaboot Singh	,,
144.	Varda S/o Nolaji of	,,
145.	Gohoji S/o Kukoji of Hotda	
146.	Bherji S/o Ota of Kherwa	
147.	Nena S/o Hapa of Kenpura	
148.	Kumpa S/o Lala of ,,	
149.	Zora S/o Moti ,,	
150.	Ratan Sing S/o Soorat Singh of Lambiya	
151.	Kelash Puri S/o Chhatar Puri ,,	
152.	Jasiya S/o Teekam of Harijawa	
153.	Heera Chand S/o Gheesa Lal of Bhanwari	
154.	Dhaniya S/o Khetaji of Bhanwari	
155.	Moti Singh S/o Sultan Singh of Sadariya	
156.	Prabhu S/o Manroop of	,,
157.	Dali Chand S/o Pratap Mal of Bhanwari	
158.	Jassa S/o Vala of Bhanwari	

1	2	3
159.	Budhar S/o Mada of Bhanwari	
160.	Gula S/o Kishan of Dayalpura	
161.	Rawat Singh S/o Baktawar Singh of Dayalpura	
162.	Satidan S/o Akhaji of Bhanwari	
163.	Jeewa S/o Jethaji of ,,	
164.	Raingo S/o Har Chandji of	
165.	Pratap S/o Nagji Dayalpura	
166.	Nawo S/o Karno ,,	
167.	Bhano S/o Laka of ,,	
168.	Harjee S/o Akha of ,,	
169.	Dewa S/o Jagannath of Selariya	
170.	Dal Singh S/o Kishan Singh of Sadariya	
171.	Tulsi W/o Pema of ,,	
172.	Chiman giri S/o Lal giri ,,	
173.	Adda S/o Thana of Sedariya	
174.	Pamo S/o Bhoora of Dayalpura	
175.	Gulab S/o Dewa of ,,	
176.	Khangaro S/o Bhola of ,,	
177.	Prabhu S/o Bhola of ,,	
178.	Veermo S/o Moola of Bhanwari	
179.	Bhomo S/o Sangramji of ,,	
180.	Prabhu S/o Venoji of ,,	
181.	Ram dass S/o Kana ram of Bhanwari	

1	2	3
182.	Kanak W/o Pratop mal ji of Bhanwari	
183.	Prabhu S/o Sadn ,,	
184.	Ramlo S/o Venoji of Roopawas	
185.	Dhoola S/o Saroopji of Bhanwari	
186.	Ragta S/o Dano of ,,	
187.	Bhoora S/o Moolaji of ,,	
188.	Manroopa S/o Bawaji of ,,	
189.	Lalo S/o Joiji of ,,	
190.	Janwata S/o Ano of ,,	
191.	Vajai Singh S/o Samrath singh of Bhanwari	
192.	Vena S/o Veeram of ,,	
193.	Gulab chand S/o Lal chand of Didwana	
194.	Raju aingh S/o Zor singh of Nimlal Khera	
195.	Pawecar Puri S/o Shambhu prui of Nimlal Khera	
196.	Heera S/o Baldeoji of Ju at prenent Pali	
197.	Shondkalal S/o Paharji of Bagriya	
198.	Nathu S/o Ramaji of Nadiya	
199.	Mohan dass S/o Saligram of Jawali	
200.	Pratap S/o Hamir aingh of Mhakarala	
201.	Amar singh S/o Achal cchal singh of Jovali	
202.	Teja ramS/o Guano of	
203.	Hamira S/o Pana of Pali	
204.	Gafoor khan S/o Lakhokhan of Rohat	

1	2	3
205.	Motilal S/o Gumandirm of pali	
206.	Laxman singh S/o Kishan of Dewandi	
207.	Parkha S/o Kishan of Dewandi	
208.	Sheoji S/o Naina of Kherwa	
209.	Rana S/o Thana Kherwa	
210.	Vana S/o Chandra Balarwas	
211.	Amara S/o Panna of ,,	
212.	Sardara S/o Vengi Budewara	
213.	Mohabat singh S/o Janwant singh of Anado	
214.	Suraj mal S/o Bheeka of Lambiya	
215.	Madhu S/o Dharma of Saldaro	
216.	Girdhari S/o Chimna of Lambiya	
217.	Sawaiasingh S/o Jora of ,,	
218.	Natha S/o Bhola of Lherwa	
219.	Hema S/o Hari ram of Avadav	
220.	Pagga S/o Girdhari of Bhadrawas	
221.	Kaloo S/o Thana of Avadov	
222.	Vena S/o Meram of Kherwa	
223.	Deora S/o Thana of Lherwa	
224.	Parbhu S/o Lachaman ,,	
225.	Bansi dass S/o Prabhudass Burdhawas	
226.	Poonam singh S/o Behadur singh of Burdawas	
227.	Bheekaji S/i Roopaji of Pali	

1	2	3
228.	Noji w/o Kesari mal of Pali	
229.	Chamni W/o Tej raj of Hemawas	
230.	Bheek singh S/o Biahan singh Bhclelao	
231.	Takar S/o Rama of Hemawas	
232.	Udaram S/o Pituji of ,,	
233.	Udai S/o Pituji og ,,	
234.	Magaram S/o Saroopji of Hemawaa	
235.	Bhagaram S/o Akaji of ,,	
236.	Bhavat singh S/o Bbimal singh of Hemawas	
237.	Uda S/o Teja af Balerao	
238.	Ajit S/o Samrathe of Ralerao	
239.	Shankar giri S/o Mog giri of Hemawas	
240.	Bhoja ram S/a Kaloo ji of ,,	
241.	Sheonath S/o Spmer of Ralorao	
242.	Kaloo jt S/o Nawlaji of	
243.	Nauji S/o Sahalji of	
244.	Lal singh S/o Laeem singh of Balerao	
245.	Inder singh S/o Karan singh of Hemawas	
246.	Hanas S/o Bhoma of ,,	
247.	Varda S/o Veeram of ,,	
248.	Sheyanth S/r Peeraji of ..	
249.	Kaloo ji S/o Dawaji of Balerao	
250	.Vena S/o Samrathe of Hemawas	

Page No.69

1	2	3
251.	Jawar singh S/o Naraingh of Remasingh	
152.	Hem singh S/o Bhabootsingh of Digai	
153.	Bheraji S/o Gevaji of Kiranki dheni	
154.	Hardeo S/o Koja of Khatikhera	
155.	Jugraj S/o Ramaji of Pali	
256.	Kheemaji of JaWaji of Jaitpur	
257.	Firad singh S/o Bhoru singh of Kembiya	
258.	Bahija S/o Bhooraji of Paradila small	
259.	Nema S/o Jora of Raldankidhani	
260.	Durgaram S/o Kaha of Baddanki Dhani	
261,	Veer Singh S/o Saktidan Singh Rakhana	
262.	Mooi Singh S/o Sultan Singh of ,,	
263.	Sheonath Singh S/o Daye Singh Dhigana	
264.	Danu S/o Samal of Hanjawas	
265.	Dhanna S/o Aohalal of Dilgana	
266.	Mogga Ram S/o Dhule Ram of Hanjawa	
267.	Jug Lal S/o Moti Lal of Pali	
268.	Magga S/o Chetra of Lambia	
269.	Shofi S/o La Khan Kherwa	
270.	Mogha S/o Maran of Kherwa	
271.	Bhoor Nath S/o Misri Nath of Kherwa	
272.	Bhreka S/o Lachha of Rampura	

Page No.70

1	2	3
273,	Gheesa S/o Bhera of Rampura	
274.	Uda S/o Jetha of Ramdura	
275.	Birdah S/o Pitha	
627.	Lachha S/o Moola Kenpura	
277,	Jeewa of Jetpur	
278,	Lachha S/o Chela of Kherwa	
279.	Veram S/o Nagga of Bithir	
280.	Kana S/o Raghunath of Bithur	
281,	Amara S/o Panna of Kenpura	
282.	Dewa S/o Panna of Bederawas	
283,	Cordhan S/o Salog of Kherwa	
284.	Thana S/o Ghunia of Bithur	
285.	Anna S/o Tulsa of ,,	
286.	Kadhopuri s/o Bithu	
287.	Dewa S/o Gumna of ,,	
288'	Sagar dan S/o Pauji of Godwara ,,	
289.	Bheru Singh S/o Prithivisingh Godwara	
290	Mool Singh S/o Prithivising of ,,	
291.	Pema S/o Bhaboot of Mandali	
292.	Khet Singh S/o Hem Singh of Mandali	
293.	Lal Singh S/o Sanwat Singh of ,,	
294.	Jai roop S/o Uda of Kalapipal Ki dhani	
295.	Jodha S/o Dhoora of ,,	
296.	Chela S/o Likhma Endra Ka dheni	

1	2	3
297.	Moti S/o Sanval of Pipaliya Ki dhani	
298.	Kaloo S/o Panna of Mandsli	
299.	Rama S/o Ragnath of Modpariya	
300.	Gubal Singh S/o Bakhtawar Singh Modpariya	
301.	Shivgar S/o Chimangar of ,,	
302.	Moti ji S/o Lakhnaji Pipaliya ki dhani	
303.	Lal dass S/o Jodha ram of ,,	
304.	Vishad dass S/o Ram charan dass of Jetapur	
305	Asulal S/o Sita ram of Jheetra	
306.	Bhagwan S/o Harkishan of ,,	
307.	Laxman S/o Pamaji of ,,	
308.	Pokar S/o Gepar of ,,	
309.	Labu S/o Shoonath of ,,	
310.	Sukh deo dass S/o Garib dass of Jheetra	
311.	Heera S/o Apuji of Kandhara	
312.	Zalam Singh S/o Jujar Singh of Kanlhara	
313.	Binju S/o Bhomaji of Pali	
314.	Pratap mal S/o Bheekaram of Nimbli	
315.	Dhansingh S/o Bed Singh Bagaria	
316.	Manglo S/o Naugoji of Nimbli	
317.	Sona S/o Gefar of ,,	
318.	Heera S/o Wawlaji of Balora	
319.	Pukhiya S/o Kaluji of Pali	
320.	Heero S/o Bhava of Pali	

1	2	3
321.	Hanwant S/o Raoji of Gudli	
322.	Nool Singh S/o Nawal Singh of Gudli	
323.	Her S/o Bhabootji of Ramasiya	
324.	Pratap Singh S/o Samrath Singh Akeli	
325.	Shabbo S/o Amoji of Madiya	
326.	Mojiram S/o Jas rag of Pali	
327.	Kishan Singh S/o Baney Singh Malpuria	
328.	Karan Singh S/o Bhabut Singh of Gudli	
329.	Chaman Singh S/o Kan Singh of ,,	
330.	Jodhasingh S/o Sabai Singh of ,,	
331.	Moolaram S/o Sabaram of Mddiya	
332.	Poonaram S/o Chatara ram ,,	
333.	Ogaram S/oNena ram of ,,	
334.	Rughnath Singh S/o Jugarsing of Dhegana	
335.	Lalaram S/o Jutha ram of Maudiya	
336.	Jogaram S/o Bhagwan ram. ,,	
337.	Kheta ram S/o Pana ram ,,	
338.	Raja ram S/o Hema ram of ,,	
339.	Rughnath ram S/o Sevaram of Madiya	
340.	Teja ram S/o Oumna ram ,,	
341.	Hemdass S/o Shyam dass of Pali	
342.	Narain bxai S/o Chothmal of Pali	
343.	Sujiya S/o Kishana of Pali	

1	2	3
344.	Karna S/o Agarji of Madti	
345.	Chimna S/o Iachha of Pali	
346.	Samrath Singh S/o Ajit Singh of Pali	
347.	Gopal S/o Chhitar mal of Pali	
348.	Kasturi W/o Jetha of Pali	
349.	Gola S/o Kewa of Akeli	
350.	Bejodan S/o Bheckadam Roopawas	
351.	Gokal ram S/o Natharam Duidya	
352.	Shambbu puri S/o Amrit puri punagar Mali	
353.	Pukeaji S/o Agji of Madiya	
354.	Khetiram S/o Chela ram Dudiya	
355.	Sewn ram S/o Laldass of Haji	
356.	Moda S/o Bakhta of Haji	
357.	Lachha S/o Juga of Haji	
358.	Ram chandra S/o Kashinath Pali	
359.	Noji W/o Hsmat ram of Khod at present Pali	
360.	Dhapi W/o Kundanmal Pali	
361.	Ajeet Singh S/o Lakh Singh Pali	
362.	Jeeja bai W/o Sesh mal, Pali	
363.	Dhapi Bai W/o Siremal, Pali	
364.	Sunder bai S/o Mohanlal, Pali	
365.	Sunder Singh S/o Bhagwat Singh Pali	
366.	Mangala S/o Kheema of Pali	
367.	Bhana S/o Prabhu, Dholeria	
368	Lachha S/o Soora Vithu	
369.	Badha S/o Vana Sonai ki dhani	
370.	Vena S/o Sawaji Vithu	

1	2	3
371.	Karna S/o Lachha of Vithu	
372.	Bija S/o Jawan ji of „	
373.	Sujiya S/o Raika of Vithu	
374.	Dalpat Singh S/o Amar Singh Bhalelao	
375.	Arjun Singh S/o Samrath Singh of Akeli	
376.	Meg Singh S/o Bakhtawar Singh Pali	
377.	Malki W/o Khetaji of Pali	
378.	Prakhuji S/o Bhabootji Pali.	

परिशिष्ट ४

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३१६ का उत्तर देखिये]

Resolutions Passed at the Rajasthan Pensioners' Convention Held on Sunday the 22nd February, 1959, at Jaipur.

RESOLUTION No. 1.

The representative present here on behalf of Pensioners in their respectave Divisions and Districts of the Rajasthan State and in their individual capacity and taking into consideration the opinions of other Divisions and Districts which are not represented, hereby resolve to constitute and set up an association of pensioners in Rajasthan under the name of "The Rajasthan State Pensioners' Association".

RESOLUTION No. 2.

Resolved that the draft constitution of "The Rajasthan State Pensioners' Association" as approved by the Subjects Committee of this Convention be accepted and adopted as the Constitution of the Association.

RESOLUTION No. 3.

Resolved that the following be elected Office bearers and members of the Executive Committee :

(i)	President.		Shri	Devi Shanker Tiwari.
(ii)	The Vice Presidents.	(1)	,,	Hetudan Ujwal.
		(2)	,,	Dr. Mathuralal Sharma.
(iii)	General Secretary.		,,	Munshi Lal Saxena.
(iv)	Joint Secretary;		,,	Zahir Uddin.
(v)	Treasurer, and		,,	Bansi Lal,
(vi)	Five Members.	(1)	,,	Wahidullah Khan of Jodhpur.
		(2)	,,	Bishan Das Chopra of Bikaner.
		(3)	,,	Pyare Lal Bhargava of Kotah.

(4) „ Khuman Singh of Udaipur.

(5) „ Yadram Chaturvedi of Bharatpur.

RESOLUTION No. 4.

Resolved that the demands for various reliefs sought for in the representation already made by the Rajasthan Peoples' Welfare Society to the Government of Rajasthan as mentioned below, be endorsed and that the Government be requested to beetow its due consideration to these most reasonable and modest demands of the pansioners as early as possible and to issue orders immediately in respect of the increase in the dearness allowance of pensioners upto a ceiling of Rs. 100/- :

(i) Dearness allowance to be given to Pensioners according to the scale prescribed for the Govt. servants in actual service;

(ii) Grant of free medical aid for themselves and their dependants in the form of (1) Supplly of free medicines, (2), concession in medical Officers' fee, (3) free accommodation in hospitals in the case of an indoor patient and (4) other facilities as are available to Government servants in actual service;

(iii) Grant of free educational facilities in the case of their children in the form of (a) concession in and exemption from tuition fee in all Educational and Technical Institutions in the State; (b) grant of Study loans and Scholarships and (c) other facilities enjoyed by the children of the Goverment servants in service.

(iv) In the case of small pension holders a minimum pension of Rs. 20/- p. m. be given to enable them to live in comfort, if not in plenty.

(v) In the case of pensioners drawing Rs. 100/- the Dearness allowance be allowed on the increased scale as from 1st April, 1958 as has been sanctioned by the Central Government and the Punjab Govt.

(vi) In the matter of pension cases prompt attention be given to their cases so that they may not feel financially embarassed.

Further resolved that the Government be assured that the State Pensioners' Association will spare on pains to assist the Government in the achievemnt of the object mentioned in clause (vi) above.

RESOLUTION No. 5

In the State of Rajasthan half dearness allowance which is allowed to be counted towards the pensions under the new Pension Rules of the Central Government has not been so treated.

Resolved that the Government be approached to extend this benefit to the pensioners of this State as has been done by the Central Government. Further resolved that the Bharat Pensioners' Smaj be requested to move the Central Government to use their good offices with the Rajasthan Government in this behalf.

RESOLUTION No. 6.

Resolved that the Government be requested to sympathetically consider the question of restoring the commuted portion of the pension under the Pension Rules to pensioners who have fortunately survived the period for which the commutation was paid.

RESOLUTION No. 7.

Resolved that the Bharat Pensioners' Samaj be requested to approach the Central Government for exemption of the amount of pension for all calculations for the assessment of income tax or super tax etc. under the Income Tax Act.

RESOLUTION No. 8.

Resolved that the Government be requested to permit pensioners to draw their pensions from their local post offices so as to relieve them from the hardships which they now experience in receiving their pensions from the local treasuries.

RESOLUTION No. 9.

Resolved that the Government be informed that at this hour when the Country is making all round progress and when every bit of selfless service is needed most for the building of the welfare State aimed at, the Pensioners' Association offers its voluntary and honorary services so as to speed up the achievement of the Welfare State as envisaged and that it would be prepared to attend to the call as and when made.

RESOLUTION No. 10.

Resolved that efforts be made to set up an employment bureau in order to find work for the needy and the unemployed pensioners.

RESOLUTION No. 11.

Resolved that a copy of these proceedings be forwarded to the Government of Rajasthan and also to the Government of India through the Bharat Pensioners Samaj for information and such action as denied necessary.

परिशिष्ट ५

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २१६ का उत्तर देखिए]

Valuation Report for the Period 1. 9., 1946 to 31. 3. 1953 by Shri T. R. Shri Nivasan, M. A; F. I. A. Senior Divisional Manager, Life Insurance Corporation of India.

I have the pleasure to report on the results of the actuarial valuation of the assets and liabilities of the Jaipur State Life Insurance (Government Servants) Fund performed by me as at 31 st March, 1953. The last valuation which was the first ever valuation of this Fund was performed by Shri L. S. Vaidyanathan, M. A; F. I. A; as at 31st August, 1946, The change in valuation date from 31st August to 31 st March had been necessitated by the political changes in the county which eventually resulted in the integration of the then Indian States in to the Union of India, as a corrollary to which the financial year had to be closed on the same date as that of Units and of the Union itself viz; 31st March. The Life Insurance Scheme was alse extended at about the same time to cover the officials of the entire integrated Ssate of Rajasthan. The present valuation, however, concerns itself with the Fund as it existed prior to the integration aforesaid, i. e. the numbers were mainly the Government servants of the then State of Jaipur.

As per rule 9 of the Rajasthan Government Servants Insurance Rules which are the rules presently in force, the Directer of Insurance is repuired to cause the actuarial investigation to be made periodically as laid down and the report of the Actuary is required to be submitted to the Government. This report is in pursuance of the said Rule and although I have addressed the Report to you, I expect that you will take steps to forward the same to the Government of Rajasthan in due course.

As will be seen the inter—valuation period at the present valuation is somewhat longer than usual and is, in fact, a period of 6 years and 7 month. An idea of the movements that took place in the business during this period can be had from the statement in From "DDD" appended to this report. An idea of the scale of operations of the Fund can also de formed from the consolidated Revenue Accont appended to the report.

Mortality Experience:— An investigation has made into the mortality experienced by the members of the Fund during the inter-valuation period with the minor exeption that from considerations of practical convenience, however, the period of 7 months from 1.9.49 to 31.3.50 was excluded

/

so that the investigation covered a period of six years in all. The investigation was based on the number of "Assurance Contracts" rather than on the number of Policies (lives). That is, further Assurance Contracts due to increment , Promotions etc. on the same life have been teken into account separately.

The following is a brief summary of the results of the invstigation:—

	Based on Number.	Based on Sum Assured Rs.
(i) Exposed to Risk of Death.	95067	2,91,15,172.
(ii) Expected Deaths on basis of oriental (1925-35) Ultimate mortality (used in the valuation).	751.58	19,8,876
(iii) Expected Deaths on basis of Oriental (1925-35) Ultimate, Modified, mortality (underlying the current premium Scale of the Life Insurance Corporation of India).	526.65	1,39,303
(iv) Actual Deaths.	428	94,359
(v) Ratio (iv) : (ii)	56.95%	47.45%
(vi) Ratio (iv) : (iii)	81.27%	67 74%

N. B. (a) The experience over broad age groups is also within the expected results.

(b) The ratio under (vi) are given by way only of additional information.

It will thus be seen that the mortality experienced was substantially lighter than that expected on the Oriental (1925-35) ultimate table which was the mortality basis employed at the last valuation. In fact it will be noted that while the percentage of actual to expected deaths during the period 1943-46 was 73 percent, that during the present inter valuation period 1646-53 to describe it briefly, is only 57 percent (number of contracts bases) and 47 percent (sums assured basis). although the margin is thus larger now, I have decided to retain the same mortality basis for the current valuation and this will mean a greater contribution to surplus from this sourse at the succeeding valuation.

Rate of interest:— Under Rule 7 of the Insurance Rules the Insurance Fund shall be credited by the Government with interest at the rate of 3½% on the mean balance of the Fund. As at 31st March, 1953, there were balances in other accounts (the main such item being under the head premium suspanse) which amounted to over 10 percent of the total credit balances including the Life Iusurance Fund. Similar was more or less the position at earliar dates during the period. The result is that the actual amount credited by way of interest constituted something more than the guaranteed rate of 3½% when expressed in relation to the balances at the credit of the Life Irsurance Fund alone. The following statement shows the rates of interest thus actually earned:—

Period,	Duration.	Annual interest yield
1-9-46 to 31-8-47	12 months.	3.78%
1-9-47 to 31-8-48	12 months.	3.78%
1-9-48 to 30-9-49	13 months.	3.78%
1-10-49 to 31-3-51	18 months.	3.82%
1-4-51 to 31-3-52	12 months.	3.80%
1-4-52 to 31-3-53	12 months.	3.74%

Expenses of management:— The overall ratios which the expenses of management bear to the premiums are as follows:—

Period.	Duration.	Expense ratio
1-9-46 to 31-8-47	12 months.	10.35%
1-9-47 to 31-8-48	12 months.	12.81%
1-9-48 to 30-9-49	13 months.	10.61%
1-10-49 to 31-3-51	18 months.	14.28%
1-4-51 to 31-3-52	12 months.	13.60%
1-4-52 to 31-3-53	12 months.	14.19%

At the last valuation the valuing actuary had gone into the higher incidence of First Year expenses normally experienced on the placing of a contract on the books for the first time and had calculated the "overall expense ratios as well as the renewal expense ratios" on the certain assumptions and had chosen to be guided by the later ratios in diciding the provision for future expenses in the valuation. So far as the present valuation is concerned, the weight of the new "Assurance Contracts" particularly first Assurance Contracts was not much as compared to the number of existing contracts in force during the period. For this reason I have decided to be guided by overall expense ratior. This is actually a somewhat stringent approch to the problem of

providing for future expenses. One other reason among others which guided me in arriving at this decision is the practical absence of any specially heavy first year expense like commission or Medical Fees.

Valuation basis and Description of Valuation :—This rate of interest assumed for the valuatton is $3\frac{1}{4}$% per annum which is 1/4 percent less than that used on the last occasion. The over all favourable experience during the inter-valuation period has made this strengthening of the interest basis of valuation possible. The margin between the rate of interest actually earned and this somewhat conservative rate will ensure a fair amount of interest surplus emerging at the next valuation.

As already stated, the table of mortality used at the last valuation, viz., Oriental (1925-35) ultimate has been retained for the present valuation also.

As regards expenses, I have retained the same provision as at the last valuation, viz., 15 percent. The actual expenses ratio though showing a sllght trend of increase during the later years of the period are likely to be curtailed in future. Moreover, when comparing the overall expense ratios given above with the corresponding once given by the then valuing actuary in the last valuation report it wlll be noticed that there has been an over all improvement in the experience mainly due to the relatively smaller proportion of new contracts to existing contracts already referred to. The provision of 15 percent is accordingly considered to be adequate.

At the time of the last valuation the rules provided for recovery of only 5 percent of the pay of officials by way of premium contributions. This has since been raised to $6\frac{1}{4}$ percent. though the original intention was to fix this percentage at 10 percent. To some extent the increase in percetnage means an arugmented preimum income for the same number of person ssured, a factor which will have a favourable result on the expense ratio. Any saving resulting from the actual expenses being less than provision made in the valuation will no doubt emerge as a profit at the succeding valuation.

Additional provision on a suitable scale has been made in the valuation for loading in respect of limited payment Policies after cessation of premiums as also under paid-up assurance contracts.

Provision for immediate payment of claims has been made on a basis which assumes that claims will be paid immediately on the occurrence of the events. This is no doubt a slightly stringent assumption.

Certain assurance contracts originally grantad in Jharbahis currency were allotted on conversinon to Kaldar currency, the excess contribution recei-

ved from them in the past as a "Batta" to be eventually repaid with the claim amount. Strictly speaking it would suffice if the "Batta" amounts were taken into account on the basis of their present value. However, I have decided to reserve the entire amount under this head as a provision for repayment.

As a result of the "gross premium method" of valuation adopted by throwing off a uniform percentage of premiums as provision for future expenses and profits under all contracts certain contracts will be treated as assets "negative values" for a short duration after placement on the books. Under some contracts the Reserve is expected to be some what less than the guaranteed surrender value during the earlier period. While considering this question it should be remembered that entrance into this Scheme is more or less compulsory and that only officials ceasing to be in Government service are allowed, when they decide to maintain their contracts to make their own arrangements for payment of the future premiums under Rule 45. Accordingly, under the conditions applicable to the Fund realisation of premiums and therefore of the early "negative values", if any, is almost a feregone conclusion and cases of surrender of contracts are not expected to be significant. I have considered it sufficient, therefore, not to make a specific provision for elimination of "negative values". I have, however, allotted a miscallaneous reserve of Rs. 10,000/-which intet-alia is considered adequate to meet the needs, if any, under this head.

Results of the valuation:-Annexed to the report are also a summary of the valuation in Form and the Valuation Balance Sheet In Form I. It will be found from these that the valuation discloses a surplus of Rs. 3,03,007/-

Distribution of surplus:-As stated above the surplus at our disposal is Rs. 3,03,007/-In deciding the question of disposal of the surplus, I have felt it desirable to take into account the following:-

After the conclusion of the last valuation the Goverument had by their Order No. 114. SC dated 28th Januray, 1949, granted a subvention of Rs. 18,368/-to the Fund, being 25% the expenditure incurred by the Fund during the relevant inter-valuation period. This is a special accial accrual to which the present policy holders have a somewhat special claim especially when the Fund as at 31st. March, 1953 was at the threshhold of a substantial accession of new membership as a consequence of the integration.

I have also examined the current bonus earning capacity and feel that given the current favourable experience, a bonus of Rs. 10/-per thousand per

annum should accrue from the normal sources of surplus. Accordingly I recommend as follows:-

That a simple Reversionary Bonus of Rs. 10/-per thousand sum assured per annum be declared on all assurance contracts in force on the valuation date for the full sum assured for each full assurance contract year's premium paid and or anniversary passed under whole Life Assurance whereunder premiums have ocased, since the last valuation date vis., 31st August, 1946. That a further special preintearation Bonus of Rs. 2.50 per thousand sum assured per annum be declared on all assurance contracts in force on the date of valuation for the full sum assured and subject to the same conditions.

The Bonus will vest in full only after payment of all the instalments of premiums due in the assurance year current at the date of valuation, and under assurance that may be surrendered or made paid-up before payment of such instalments only a proportionate Bonus should be allowed. The Bonus reoommended is reversionary in character i.e., it is an addition to the sum assured and is payable along with it when the contract becomes a claim.

On the valuation date, viz., 31st March. 1953, the assurance contracts that had been in force on the last valuation date viz, 31st August, 1946, would all have completed a period of six years and 7 months. Some of these contracts would have passed 6 assurance contract anniversaries and the remaining ones 7, depending upon the actual month of commencement of the assurance. As regards assurance contracts effectel subsaquent to 31 st August, 1946, the corresponding number would be 7,6.5,4,3,2 or I as the case may be depending on the date of effecting of the assurance. The Bonus to be allotted for any assurance contract will be for the integral number of years determined in this way.

As a result of the above recommendations a sum of Rs. 2.44,343/- out of the disclosed surplus would be abserbed. The balance of Rs. 58,664/- is recommended to be carried forward.

Interim Bonus:-I also recommend that on assurance contracts becoming claims by death or maturity, subsequent to the valuation date and before the next valuation date Interim bonus be allowed as follows:-

(I) At the rate of Rs. 10/-per thousand on the original sum assured for each assurance year's premium due and paid subsequent to 31st March, 1953 under Endement Assurance policies, and

(2) At the same rate and upon same conditions under whole Life Assurance (After the premiums have ceased Intrim Bonus to be allotted in addition for each assurance anniversary passed subsequent to the due date of the final premium..

Conclusion: -I should congratulate you on the results of the valuation which are quite satisfactory. Insurance under the Fund has since been thrown open to practically the entire integrated body of officials of the State of Rajasthan thus making the scale of operations much bigger. Greater economics should thus be possible and with correspending benefits to the policy holders. If the working during the inter-valuotion period is any guide, there is no doubt that the policy holders will stand to gain immensely, not only as result of the Government guarantee behind the contracts under Rule 6 of the Insurance Rules, but also because of the better returns sure to accrue to them from the compulsory cooperation inherent in the Scheme of the present augmented number of insured officials.

FORM 'H'

Summary and Valuation of the Life Assurance Contracts (First and Further Assurance) of the Jaipur State Life Insurance (Government Servants) Fund Jaipur, As at 31st March, 1953.

Description cf Transactions.	No. of assurnce Contrects.	Particulars of the Contracts for valuation.			Valuation — Valued by the Oriental (1925-35) Ultimate Table and 3½. interest.			
		Sums-assured and Reversi. onary Bonus additions.	Office yearly premiuss	Net yearly premiums	Sum assu red& Revers ionsry Bonus additicns.	Office yearly primiums	Net yearly premiums	Net Lisbiiity
		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1. Whole Life Assurance (Including paid up contracts).	611	2,23,369	7,956		98,843	82,744	70,333	28,510
2. Endowment Assurance (including paid up contracts.)	17,530.	54,82,633	2,33,700		33,05,408	25,60,847	21,76,720	11,28,778
Total	18,141	57,06,002	2,41,656		34,04,341	26,43,591	22,47,053	11,57,288

ADJUSTMENTS ;

Additional Provision for loading in respect of Limited payment and Paid up contracts.	11,410.
Provision for immediate payment of Claims.	10,001.
Provision for repayment of Batta (Full face value reserved)	41,879.
Miscellaneous Reserve.	10,000.
	12,30,578.

Sd/- T. R. Shrinivasan.

State Life Insurance Department, Rajasthan, Jaipur.

Form "DDD"

Consolidated Statements regarding movement of assurence from. 1. 9. 1946 to 31. 3. 1953.

Particulars.	No. of lives.	No. of contracts.	Snm assured.	Reversionary bouns additions
In force as on 1—9—1946	6773	10996	36,47,978	...
First Assurances.	2805	2805	30,10,586	32,194
Further Assurances.	...	8151	...	...
Alteration "On"	...	...	1,33,505	
Other items (Reinstatement)	31	58	17,539	
Total	9609	22010	68,09,608	32,194.
EXITS :—				
Claims by Death.	228	459	1,03,358	
Claims by maturity.	316	539	78,860	
Claims by Surrender.	1769	2830	7,80,995	
Alteration "OFF".	...	...	1,62,019	

1	2	3	4	5
Other items (Cancellation of policies).	17	41	10,568	
Total discontinued	2332	3869	11,35,800	
Inforce on 31-3-53	7277	18141	56,73,800	

32,194 Reversionary.

57,06,002 Bonus abditions.

FORM I

Valuation Balance sheet of the Jaipur State (Government Servants) Life Insurance Fund, Jaipur, as, at 31 March, 1953

	Rs.		Rs.
Net Liability as shown in the Summary and valuation of assurance contracts	12,30,578.	Balance of Life Insurance Fund as shown in the Balance Sheet	15,33,595
Surplus.	3,03,007		
	15,33,595		1533 585

Sd/ T. R. Shrinivasan.

परिशिष्ट ६

[कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ३२४ का उत्तर देखिए]

Question.	Answer.
2. What steps have been taken by the Board or the Director of Local Bodies to recover this amount from them ?	The steps taken by the Board and the Director of Local Bodies are as under:— 1. A sum of Rs. 100/- is outstanding against Shri Shive Charan Lal, Ex-member of board from 1947. He was disqualified by the board as well as by the Director of the Local Bodies. He filed a Writ Petition in the Hon'ble High Court and the same has also been dismissed on 3.8.59. The Board will now realise the amount. 2. Shri Tulsi Ram Ex-member took 180 carts of manure for his garden from the Board and did not pay the amount. The Executive Officer on the report of the Sanitary Inspector dated 23.1.54, submitted his report to realise the amount @ -/4/- per cart before the Chairman. According to the order of the Chairman, Shri Tulsi Ram was asked to deposit Rs. 45/- on 31.1.54, but he did not pay any amount upto 17.12.55, and the case was filed by the Ex-Chairman Shrimati Priamveda Chaturvedi. The matter was again put up in the meeting of the board on 17.4.58, on the report of the Audit and the board issued special notice under section 12 (3) (d) of the Rajasthan Town Municipalities Act 1951, to deposit the amount. Shri Tulsi Ram did not pay the amount upto the expiry of the notice which was of three months and got the stay orders from the Civil Judge Bharatpur. The case has been dismissed on 17.7.59,

Necessary action will now be taken by the Board according to the procedure.

3. A telephone was installed at the residence of Shrimati Priamveda Chaturvedi, Ex Chairman, Muncipal Board, Bharatpur in the year 1953 but the amont of Rs, 222.81 remained due.

The matter is under correspondence with her.

4. A sum of Rs. 320/- for Toll Tax is due agaist Shri Suresh Kumar member of the Board, He has filed a suit in the Court. Date for hearing is 1.9.59.

5. A sum of Rs2,070/- is outstanding against Shri Nand Ram, Member of the Board' The case is under consideration of the Court and the date of hearing is 9.9.59.

शुद्धि-पत्र

[२२ अगस्त, १९५९]

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१८८४	ऊपर से ८	पुनर्स्थायन	पुरस्थापन
१८९५	नीचे से ११	अन्तगत	अन्तर्गत
,,	,, ३	कलेक्टर न	कलेक्टर ने
१८९७	नीचे से १५	१९९-५८	१९-९-५८
१८९९	ऊपर से ५-६	objectonable	objectionable
,,	,, ११	जमान	जवाब
,,	,, १३	timet hat	time that
,,	नीचे से ३	contusion	confusion
१९०३	ऊपर से ५	एम० ए० ए०	एम० एल० ए०
१९०८	नीचे से ६	भूनि वितरण	भूमि वितरण
१९१०	,, ५	फैक्ट्री की	फैक्ट्री को
१९१२	ऊपर से ६	मंमते	मंगाते
१९१४	शीर्ष	१८१४	१९१४
,,	ऊपर से ८	कैस	केस
१९१५	शीर्ष	१८१५	१९१५
१९२१	ऊपर से ३	मडिकल-एड	मेडिकल एड
१९२७	नीचे से १२	इन्श्योन्स कॉर्पो-	इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन
१९२९	प्रथम पंक्ति	कसके	किसके
,,	ऊपर से ५	बानस	बोनस

१	२	३	४
१६२६	ऊपर से १०	हुल्डर्स	होल्डर्स
,,	,, १५	बोनस बाटा	बोनस, बांटा
१६३१	नीचे से ११	inportent	important
१६३२	ऊपर से ४	Cannot ay	Cannot say
,,	ऊपर से १२	यहां से	कहां से
,,	नीचे से ६	which yar ?	which year ?
,,	,, ,,	श्री पी० के० चधौरी	श्री पी० के० चौधरी
१६३६	नीचे से ५	सेटाडी के	खेतड़ी के
१६४२	प्रथम पंक्ति	amonnt	amount
१६५२	नीचे से १२	substantal	substantial
१६५३	ऊपर से १४	last nght	last night
,,	नीचे से ७	andt he	and the
,,	,, ४	becaure	because
१६५७	,, १५	Secretarirt	Secretariat
,,	,, १२	over-bure	over bur
,,	,, ३	al along	all along
१६६२	,, १५	anybiby	anybody
१६६३	ऊपर से ११	failig	failing
,,	,, १३	hall	shall
१६६८	,, १७	don' wantt	don't want
,,	नीचे से ६	quest	ques-